035 33

वर्ष 1985-86 के लिये
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

(वाणिज्यिक)

राजस्थान सरकार

वर्ष 1985-86 के लिये
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

(वाणिज्यिक)

राजस्थान सरकार

विषय-सूची

	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		iii

अध्याय I

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन	1	1
प्रस्तावना	1.1	1
सरकारी कम्पनियां –सामान्य अवलोकन	1.2	1
सांविधिक निगम –सामान्य पहलू	1.3	7
राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल	1.4	8
राजस्थान पथ परिवहन निगम	1.5	10
राजस्थान वित्त निगम	1.6	11
राजस्थान भंडार व्यवस्था निगम	1.7	13

अध्याय II

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षा

गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2	25

अध्याय III

सांविधिक निगमों से सम्बन्धित समीक्षा	3	30

अध्याय IV

सांविधिक निगमों से सम्बन्धित कुछ रुचिकर प्रकरण	4	30

प्रस्तावना

सरकारी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिनके लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

1. सरकारी कम्पनियां;
2. सांविधिक कम्पनियां; और
3. विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम ।

2. इस प्रतिवेदन में राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल सहित सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा के परिणामों का उल्लेख किया जाता है और यह प्रतिवेदन यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19क के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा के परिणाम भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) राजस्थान सरकार में निहित है ।

3. तथापि, कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जिनमें सरकार ने धन लगाया है, परन्तु उनकी लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं की जाती है क्योंकि सरकार अथवा सरकार के स्वामित्व / नियंत्रण वाली कम्पनियों/निगमों का 51 प्रतिशत से कम शेयर होता है। ऐसे उपक्रमों, जिनमें सरकार का निवेश 31 मार्च 1986 को 10 लाख रुपये से अधिक था, की एक सूची अनुबन्ध 1 में दी गई है। इसके अतिरिक्त राज्य विधान मण्डल द्वारा स्थापित राजस्थान भूमि विकास निगम भी एक सांविधिक निगम है जिसके लेखों की लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं की जाती है। 31 मार्च 1986 को इस निगम में राज्य सरकार का निवेश 13.10 करोड़ रुपये था।

4. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल, जो सांविधिक निगम हैं, के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक एक मात्र लेखा परीक्षक है। राजस्थान वित्त निगम और राजस्थान भण्डार व्यवस्था निगम के सम्बन्ध में उसे उनके लेखों की, सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्त किये गये चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा की गई लेखा परीक्षा से, स्वतंत्र लेखा परीक्षा करने का अधिकार है ।

5. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 1985-86 के दौरान लेखों की लेखा-परीक्षा के दौरान ध्यान में आये थे और वे भी हैं जो पहले के वर्षों में ध्यान में आये तो थे परन्तु जिनका पिछले प्रतिवेदनों में उल्लेख नहीं किया जा सका था। 1985-86 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले भी जहां कहीं आवश्यक समझा गया, शामिल किये गये हैं ।

अध्याय I

1. सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

इस अध्याय में सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के निवेश, लेखाओं की स्थिति आदि के बारे में विवरण दिये गये हैं।

अनुच्छेद 1.2 सरकारी कम्पनियों का सामान्य अवलोकन करता है, अनुच्छेद 1.3 सांविधिक निगमों से सम्बन्धित सामान्य पहलुओं पर विचार करता है तथा अनुच्छेद 1.4 से 1.7 प्रत्येक सांविधिक निगम के वित्तीय तथा परिचालन निष्पादन सहित उनके बारे में और अधिक ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं।

1.2 सरकारी कम्पनियाँ-सामान्य अवलोकन

31 मार्च 1985 को 17 सरकारी कम्पनियों (3 सहायक कम्पनियों सहित) की तुलना में 31 मार्च 1986 को 19 सरकारी कम्पनियाँ (4 सहायक कम्पनियों सहित) थीं। नीचे दिये गये विवरण के अनुसार दो नई कम्पनियाँ निगमित की गयीं :

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	निगमन का दिनांक	अधिकृत पूंजी (रुपये लाखों में)
1.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम की सहायक कम्पनी के रूप में)	जनवरी 1985	75
2.	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	मई 1985	200

1.2.2 अनुबन्ध 2 में दिये गये विवरण-पत्र में समस्त सरकारी कम्पनियों के विषय में अद्यतन प्रदत्त पूंजी, बकाया कर्जे, राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टी की राशि तथा उसके समक्ष बकाया राशि, अद्यतन कार्यकारी परिणाम, आदि के ब्यौरे दिये गये हैं। स्थिति सारांश में नीचे दी जाती है :

(क) 31 मार्च 1985 को 17 कम्पनियों (3 सहायक कम्पनियों सहित) में 61.02 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूंजी की तुलना में 31 मार्च 1986 को 19 कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों सहित) में 70.60 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूंजी लगी हुई थी, जैसाकि नीचे विभाजन दिया गया है।

विवरण	कम्पनियों की संख्या	निवेश			कुल निवेश
		राज्य सरकार द्वारा	केन्द्र सरकार द्वारा	अन्य द्वारा	
		(रुपये करोड़ों में)			
1. राज्य सरकार द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनियां	8	49.97	..	..	49.97
2. केन्द्र सरकार/अन्यों के साथ स्वामित्व वाली कम्पनियां	7	13.55	5.57	0.13	19.25
3. सहायक कम्पनियां	4	..	..	1.38	1.38
	19	63.52	5.57	1.51	70.60

(ख) 31 मार्च 1985 को 11 कम्पनियों (1 सहायक कम्पनी सहित) के दीर्घ कालीन कर्जों 73.07 करोड़ रुपये (राज्य सरकार 14.66 करोड़ रुपये, अन्य : 56.63 करोड़ रुपये तथा आस्थगित भुगतान उधार (डेफर्ड पेमेन्ट वाले क्रेडिट : 1.78 करोड़ रुपये) की बकाया की तुलना में 31 मार्च 1986 को 13 कम्पनियों (2 सहायक कम्पनियों सहित) के सम्बन्ध में बकाया राशि का शेष 87.12 करोड़ रुपये (राज्य सरकार : 19.46 करोड़ रुपये, अन्य : 65.36 करोड़ रुपये तथा आस्थगित भुगतान उधार : 2.30 करोड़ रुपये) था।

(ग) राज्य सरकार ने 4 कम्पनियों द्वारा लिये गये कर्जों के चुकारे तथा उस पर ब्याज के अदायगी के लिए गारण्टी दी थी। 31 मार्च 1986 को गारण्टी की गई तथा उसके समक्ष बकाया राशि क्रमशः 30.65 करोड़ रुपये तथा 27.68 करोड़ रुपये थी।

सरकार द्वारा दी गई गारण्टियों के प्रतिफल में कम्पनियों को गारण्टी कमीशन देना होता है। जैसाकि अनुबन्ध 2 में दर्शाया गया है। एक कम्पनी के मामले में गारण्टी कमीशन का 0.85 लाख रुपये का भुगतान बकाया था।

1.2.3 नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर, समस्त कम्पनियों के वित्तीय परिणाम दर्शाते हुए संक्षिप्त विवरण-पत्र अनुबन्ध 2 में दिया गया है।

19 कम्पनियों जिनके 1985-86 तक के लेखे देय थे, में से केवल 15 कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों सहित) ने वर्ष 1985-86 के लिए लेखाओं को अन्तिम रूप दिया है (अनुबन्ध 3 की क्रम संख्या 1 से 8 तथा 10 से 12 तथा 14 से 17) तथा 2 कम्पनियों ने पिछले प्रतिवेदन से अब तक पूर्ववर्ती वर्षों के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया है (अनुबन्ध 3 की क्रम संख्या 9 एवं 13)।

अनुबन्ध 2 तथा 3 से यह अवलोकित होगा कि 4 कम्पनियों के लेखे बकाया में थे (मई 1987)। बकाया का परिमाण संक्षेप में नीचे दिये अनुसार है :

बकाया का परिमाण	आवृत्त वर्षों की संख्या	आवृत्त कम्पनियों की संख्या		निवेश				अनुबन्ध 2 की क्रम संख्या का संदर्भ
		कम्पनियां	सहायक कम्पनियां	सरकार द्वारा		धारित कम्पनियों द्वारा		
				पूंजी	कर्जे	पूंजी	कर्जे	
				(रुपये करोड़ों में)				
1980-81 से 1985-86	6	1	–	2.88+	उ.न.	–	–	16
1985-86	1	3	–	7.53+	1.30	–	–	3,17 तथा 18

लेखाओं को अन्तिम रूप देने में बकाया की स्थिति राज्य सरकार के ध्यान में पिछली बार मार्च 1987 में लायी गई थी।

1.2.4 कम्पनियों के कार्यचालन परिणामों के बारे में आगे निम्नलिखित मुद्दे उठाये जाते हैं।

1.2.4.1 पन्द्रह कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों सहित), जिन्होंने अपने 1985-86 के लेखाओं को अन्तिम रूप दे दिया था, के विषय में निम्नलिखित स्थिति प्रतिबिम्बित हुई है।

+इसमें केन्द्र सरकार द्वारा निवेश शामिल है।

(क) छः कम्पनियों ने 1985-86 के दौरान कुल 343.78 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया। उनके विषय में, पिछले वर्ष की तुलनात्मक स्थिति देते हुए, विवरण नीचे दिये जाते हैं :

कम्पनी का नाम	वर्ष के अन्त पर प्रवत्त पूंजी		लाभ (+)/हानि (−)		कुल प्रदत्त पूंजी पर लाभ की प्रतिशतता	
	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86
			(रुपये लाखों में)			
1. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	4,67.50	4,67.50	(−) 41.40	(+) 77.51	−	16.6
2. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन लिमिटेड	27,47.50	31,67.50	(−) 21.09	(+) 1,93.54	−	6.1
3. राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड	51.75	51.75	(+) 0.53	(+) 4.61	1.0	8.9
4. राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड	1,00.00	1,25.00	(+) 34.84	(+) 56.85	34.8	45.5
5. गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2,23.08	2,23.08	(+) 6.01	(+) 11.16	2.7	5.0
6. हाईटैक-प्रेसीजन ग्लास लिमिटेड जयपुर	7.65	7.65	(+) 0.69	(+) 0.11	9.0	1.4
	35,97.48	40,42.48	(−) 20.42	(+) 3,43.78	..	..

वर्ष 1985-86 के दौरान, नीचे दिये गये विवरणानुसार दो कम्पनियों ने लाभांश घोषित

किया:

कम्पनी का नाम	वितरण योग्य अधिशेष	व्यापार में प्रतिधारित राशि	घोषित लाभांश	प्रदत्त पूंजी पर लाभांश की प्रतिशतता
	(रुपये लाखों में)			
1. राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड	20.26	14.01	6.25	5
2. गंगानगर शुगर मिल्स, लिमिटेड	0.11	शून्य	1.65+	0.7

(ख) नौ कम्पनियों ने वर्ष 1985-86 के दौरान कुल 3,86.99 लाख रुपये की हानि उठाई। उनके विषय में, पिछले वर्ष की तुलनात्मक स्थिति देते हुए विवरण नीचे दिये जाते हैं :

कम्पनी का नाम	वर्ष के अन्त पर प्रदत्त पूंजी		हानि	
	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86
	(रुपये लाखों में)			
1. राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	4,60.00	4,60.00	1,41.84	1,70.41
2. राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड	78.79	78.79	5.86	18.30
3. राजस्थान संचार लिमिटेड	39.64	40.00	11.70	13.90
4. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	3,73.31	3,73.31	27.50	71.71
5. राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स लि.	0.002	0.002	–	22.71×
6. राजस्थान जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड	35.00	45.00	7.27	8.30
7. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	5,20.58	9,51.10	65.55	66.50
8. राजस्थान राज्य ग्रेनाइट्स एवं मार्बल्स लिमिटेड	19.00	19.00	17.17	13.49
9. राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	–	10.00	–	1.67
योग	15,26.322	19,77.202	276.89	386.99

1.2.4.2 जैसा कि अनुबन्ध 2 में दर्शाया गया है,

+शेष सामान्य रिजर्व में से अन्तरित किया गया।

×आवृत लेखावधि 23 जनवरी 1985 से 31 मार्च 1986 तक की है।

निम्नलिखित 4 कम्पनियों के सम्बन्ध में संचित हानि, प्रत्येक के समक्ष अंकित अवधि तक के प्राप्त लेखाओं में दर्शाये अनुसार, उस वर्ष की समाप्ति पर उनकी प्रदत्त पूंजी से अधिक हो चुकी थी :

कम्पनी का नाम	वर्ष जहां तक के लेखे बनाये गये हैं।	वर्ष की समाप्ति पर प्रदत्त पूंजी	वर्ष तक संचित हानि	अनुबन्ध 2 की क्रम संख्या
		(रुपये लाखों में)		
1. राजस्थान राज्य ग्रेनाइट एवं मार्बल्स लिमिटेड	1985-86	19.00	82.04	7
2. हाई-टेक प्रेसीजन ग्लास लिमिटेड	1985-86 (30 सितम्बर) 1986	7.65	15.61	2
3. राजस्थान राज्य टेनरीज़ लिमिटेड	1984-85	165.15	284.43	18
4. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	1985-86	0.002	22.79	10

1.2.5 31 मार्च 1986 को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अधीन आवृत्त एक कम्पनी, अर्थात् राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड थी जिसकी प्रदत्त पूंजी 1.22 करोड़ रुपये थी (केन्द्र सरकार : 0.59 करोड़ रुपये, राज्य सरकार : 0.45 करोड़ रुपये तथा अन्य : 0.18 करोड़ रुपये)। कम्पनी ने अपने वर्ष 1981-82 तक के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया है। वर्ष 1981-82 के दौरान हानि 14.24 लाख रुपये थी तथा मार्च 1982 तक संचित हानि 15.10 लाख रुपये थी।

1.2.6 वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा तथा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा, वर्ष के दौरान उनके द्वारा लेखा परीक्षा किये गये कुछ कम्पनियों के लेखाओं के विषय में, लेखा परीक्षा के फलस्वरूप उठाये गये कुछ प्रमुख मुद्दों का नीचे उल्लेख किया जाता है :

(i) कुछ कम्पनियों के लेखाओं पर वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई प्रमुख कमियां नीचे दिये अनुसार हैं :

(क) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, वर्ष 1985-86 के लिए

(1) आवंटितियों से वसूलनीय किराये तथा ब्याज की अनुमानतः 18.16 लाख रुपये की बकाया राशि की वसूली प्रत्यक्षतः संदेहास्पद थी क्योंकि शेडों तथा दुकानों के सम्बन्ध में कोई किरायानामा निष्पादित नहीं किया गया था।

(2) विश्वकर्मा औद्योगिक इकाई के सम्बन्ध में, शेडों के देनदारों के विरुद्ध कुल 63.60 लाख रुपये की राशि बकाया थी। इनमें से, अधिकांश राशि वसूली के लिए अशोध्य तथा संदेहास्पद हो चुकी थी क्योंकि कोई चुकारा नहीं हो पा रहा था। तथापि, लेखा पुस्तकों में इसके प्रति कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(ख) राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड वर्ष 1985-86 के लिए

सरकार से अवाप्त भूमि पर 1972-73 से 16.47 लाख रुपये के पट्टा किराये के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया था।

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956, सरकारी कम्पनियों के लेखा परीक्षकों को, उनके कार्यों के निष्पादन के बारे में निदेश जारी करने का अधिकार भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को देता है। ऐसे जारी किये गये निदेशों के अनुसरण में, 3 कम्पनियों के लेखाओं पर कम्पनी लेखापरीक्षकों के विशेष प्रतिवेदन वर्ष के दौरान प्राप्त हुए थे ।

इन विशेष प्रतिवेदनों में ध्यान में आये प्रमुख मुद्दे सारांश में नीचे दिये गये हैं :

कमी का स्वरूप	कम्पनियों की संख्या जहां कमी पायी गयी	अनुबन्ध 3 की क्रम संख्या का संदर्भ
1. लेखा पुस्तकों के समाधान की कारगर पद्धति का अभाव	3	1, 5, 7
2. श्रम/मशीनरी के निष्कार्य समय को सुनिश्चित करने की पद्धति का विद्यमान न होना	3	1, 5, 7
3. लेखा नियम पुस्तिका (मेन्युअल) का संधारण न करना	1	7
4. लागत लेखा पद्धति का अभाव एवं उधारों का पुष्टिकरण प्राप्त न करना	3	1, 5, 7
5. विस्तृत आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति निर्धारित करते हुए आंतरिक लेखा परीक्षा पुस्तक (मेन्युअल) तैयार नहीं करना	2	5, 7
6. स्थायी परिसम्पत्ति रजिस्टर का संधारण न करना	1	5

(iii) कम्पनी अधिनियम की धारा 619 (4) के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को कम्पनी लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर टिप्पणी करने या पूरक प्रतिवेदन देने का अधिकार है। इस प्रावधान के अन्तर्गत चयनित मामलों में सरकारी कम्पनी के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा की जाती है । अगस्त 1986 से मार्च 1987 के दौरान, समीक्षा के लिए 14 कम्पनियों के लेखाओं का चयन किया गया था ।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 619 (4) के अन्तर्गत जारी टिप्पणियों के प्रभाव निम्न प्रकार थे :

	विवरण	लेखाओं की संख्या	वित्तीय प्रभाव (रुपये लाखों में)
1.	लाभों में कमी	1	5.10
2.	हानियों में वृद्धि	1	7.56
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना	1	6.67
4.	तुलन-पत्र आइटम का संशोधन	1	7.56

इन कम्पनियों में से कुछ के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा के दौरान ध्यान में पाई गई कुछ प्रमुख त्रुटियों/चूकों, जो वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा नहीं बतायी गयी का उल्लेख नीचे दिया गया है :

1. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड वर्ष 1985-86 के लिए

मार्गोपाय अग्रिमों पर ब्याज का प्रावधान न करने के कारण 5.10 लाख रुपये से हानि कम बतायी गई ।

राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकास निगम लिमिटेड वर्ष 1984-85 के लिए

सरकार से कर्जों पर प्रोद्भूत तथा देय ब्याज (6.67 लाख रुपये) को चालू देयताएं एवं प्रावधान र्गत दर्शाने के बजाय असुरक्षित कर्जों के अन्तर्गत दर्शाया जाना चाहिए था।

सांविधिक निगम–सामान्य पहलू

3.1 31 मार्च 1986 को राज्य में चार सांविधिक निगम थे यथा:

–राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल;
–राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम;
–राजस्थान वित्त निगम; तथा
–राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम

3.2 विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मण्डल का गठन 1 जुलाई 1957 को किया गया था तथा सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 र्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1 अक्टूबर 1964 को किया गया था।

सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत, इन संगठनों के लेखाओं की लेखा परीक्षा पूर्णतः भारत के –महालेखापरीक्षक में निहित है। मुख्यतः प्रत्येक वर्ष के वार्षिक लेखाओं पर टिप्पणियां शामिल ए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संगठनों तथा सरकार को पृथक् से जारी किये जाते हैं।

मण्डल के वर्ष 1985-86 तक के वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा वर्ष 86 के लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मण्डल को 2 जून 1987 को जारी किया गया था। 4-85 तक के लेखाओं के साथ-साथ पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मण्डल के समक्ष किये जा चुके हैं।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के लेखे, जिन्हें अप्रैल में अन्तिम रूप दिया गया था, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रारम्भिक टिप्पणियों के र निगम द्वारा संशोधित किये गये तथा इन वर्षों के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधित दिसम्बर 1986 तथा फरवरी 1987 में प्राप्त हुए थे। निगम ने अपने वर्ष 1985-86 के भी फरवरी 1987 में अन्तिम रूप दे दिया है। वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक के लेखा तिवेदनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा था (मई 1987)। नवम्बर 1986 तथा मार्च 1987 र को जारी निगम के लेखाओं पर वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के लिये पृथक् लेखा परीक्षा अभी तक राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं (मई 1987)।

3 राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 3 (i) के अन्तर्गत, राजस्थान वित्त गठन 17 जनवरी 1955 को किया गया था तथा कृषि उपज (विकास तथा भण्डार व्यवस्था) नियम, 1956 जो भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 द्वारा प्रतिस्थापित हुआ, की के अन्तर्गत, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का गठन 30 दिसम्बर 1957 को किया गया।

न्वन्धित नियमों के प्रावधानों के अनुसार, इन निगमों के लेखाओं की लेखा परीक्षा, राज्य रा भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श से नियुक्त सनदी (चार्टर्ड) लेखाकारों ती है तथा भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक भी अलग से इन लेखाओं की लेखापरीक्षा कर निगमों के वार्षिक लेखाओं के संबंध में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी भारत के नियन्त्रक-क्षक द्वारा जारी किये जाते हैं। दोनों ही निगमों के 1985-86 तक के वार्षिक लेखे सनदी

लेखाकारों द्वारा प्रमाणित किये जा चुके हैं। वर्ष 1985-86 तक के वार्षिक लेखाओं पर पृथक परीक्षा प्रतिवेदन भी निगमों/सरकार को जारी किये जा चुके हैं।

1.3.4 इन चारों निगमों के उन नवीनतम वर्षों, जिनके वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप दि चुका है, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम अनुबन्ध 4 में दिये गये हैं।

1.3.5 इन निगमों के कुछ और विवरण अनुच्छेद 1.4 से 1.7 में दिये गये हैं।

1.4 राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल

1.4.1 मण्डल की पूंजीगत आवश्यकताएं सरकार, जनता, बैंकों तथा अन्य वित्तीय सं से कर्जों के रूप में पूरी की जाती हैं।

31 मार्च 1986 को, मण्डल द्वारा प्राप्त किया गया तथा बकाया कुल दीर्घ कालीन कर्ज (से प्राप्त कर्ज सहित) 11,10.48 करोड़ रुपये था तथा पिछले वर्ष के अन्त पर 10,31.69 करो के बकाया दीर्घकालीन कर्जे पर 78.79 करोड़ रुपये (7.6 प्रतिशत) की वृद्धि का द्योतक था 1985 तथा मार्च 1986 के अन्त में बकाया रहे, राज्य सरकार तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त किये ग के विवरण निम्न प्रकार हैं :

स्रोत	31 मार्च को बकाया राशि		वृ प्रति
	1985	1986	
	(रुपये करोड़ों में)		
1. राज्य सरकार	6,52.56	6,89.44	
2. अन्य स्रोत	3,79.13	4,21.04	
	10,31.69	11,10.48	

मण्डल द्वारा लिये गये कर्जों के चुकारे तथा उस पर देय ब्याज की राशि की सरकार द्वारा दी गई है। 31 मार्च 1986 को, गारन्टीकृत मूलधन की राशि तथा उसके समक्ष बकाया राशि 3, करोड़* रुपये थी। सरकार द्वारा दी गई गारन्टी के प्रतिफल में मण्डल द्वारा गारन्टी कमीशन भ होता है। वर्ष 1985-86 तक गारन्टी कमीशन के भुगतान के 2.23 करोड़ रुपये बकाया थे।

1.4.2 मार्च 1986 तक तीन वर्षों की समाप्ति पर मण्डल की वित्तीय स्थिति तथा

वर्षों के दौरान इसके भौतिक निष्पादन संक्षेप में अनुबन्ध 5 एवं 6 में दिये गये हैं।

1.4.3 वर्ष 1984-85 तक सकल अधिशेष के आवंटन का आदेश विद्युत् (आपूर्ति) अधि 1948 की धारा 67 के अनुसार निर्धारित था। कार्यचालन परिणामों को वाणिज्यिक लेखा प

---

*आई डी बी आई से लिये गये कर्जे जो कि विविध लेनदार के रूप में माने गये, 38.1 रुपयों को छोड़कर।

दर्शाने के लिये प्रावधान करते हुए अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित कर दिया गया है, जो वर्ष 1985-86 तथा आगे के लेखाओं से लागू है।

1985-86 तक तीन वर्षों के लिये मण्डल के तुलनात्मक वाणिज्यिक आधार पर कार्यचालन परिणाम संक्षेप में नीचे दिये जाते हैं :

विवरण	1983-84	1984-85 (करोड़ रुपयों में)	1985-86
1. (क) राजस्व प्राप्तियां	2,14.84	2,19.05	3,04.09
(ख) राज्य सरकार से आर्थिक सहायता	–	–	15.00
योग	2,14.84	2,19.05	3,19.09
2. राजस्व व्यय	1,77.95	2,04.72	245.95*
3. वर्ष के लिये सकल अधिशेष (+)/घाटा (–)	(+) 36.89	(+) 14.33	(+) 73.14
4. पिछले वर्षों से सम्बन्धित निवल समायोजन	(–) 3.15	(+) 5.73	(+) 2.31
5. परिहार्य अधिशेष (+)/घाटा (–)	(+) 33.74	(–) 20.06	(+) 75.45

विवरण	1983-84	1984-85	1985-86
6. विनियोजन			
(क) मूल्य ह्रास	26.55	32.54	34.73
(ख) सरकारी कर्जों पर ब्याज	22.24	24.50	44.24
(ग) अन्य कर्जों तथा बाण्डों पर ब्याज	31.96	35.77	42.05
योग	80.75	92.81	1,21.02
7. निवल अधिशेष (+)/घाटा (–)	(–) 47.01	(–) 72.75	(–) 45.57
8. दीर्घ कालीन कर्जों पर ब्याज	50.10	56.22	81.27
9. कुल परिलाभ			
– नियोजित पूंजी पर	(+) 7.19	(+) 12.18	(+) 40.72
–निवेशित पूंजी पर	(+) 13.09	(+) 16.43	(+) 35.70
10. (क) नियोजित पूंजी	8,73.06	9,22.11	6,41.98
(ख) निवेशित पूंजी	11,55.37	12,72.30	12,53.60
11. प्रतिलाभ का प्रतिशत			
–नियोजित पूंजी पर	0.01	0.01	0.06
–निवेशित पूंजी पर	0.01	0.01	0.02

राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम, लिमिटेड को देय विद्युत् प्रभारों की देयताओं का प्रावधान न करने से, 45.57 करोड़ का निवल घाटा 1.78 करोड़ रुपये से कम बताया गया है।

+ मूल्य ह्रास तथा कर्जों पर ब्याज को छोड़कर।

1.4.4 मण्डल के वर्ष 1985-86 के लिये वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निम्नलिखित प्रमुख अनियमितताओं तथा चूकों की ओर ध्यान दिलाया गया था :

(i) लेनदेन (ट्रान्जेक्शन्स) न तो विद्युत् (आपूर्ति) लेखा नियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार अभिलेखों में दर्ज किये गये थे न ही वार्षिक लेखे उक्त नियमों के अनुसार बनाये गये थे ।

(ii) परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के कुछ शीर्षों के अन्तर्गत आ रहे ऋणात्मक शेषों के जिम्मेवार कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया ।

(iii) लेखाओं के अनुसार (10.58 करोड़ रुपये) तथा उपभोक्ता खातों (लेजर) के अनुसार (7.51 करोड़ रुपये) विद्युत् शुल्क के लिये विविध देनदारियों में 3.07 करोड़ रुपयों की विसंगति का अंक समाधान नहीं किया गया ।

(iv) लेखाओं के अनुसार (8.08 करोड़ रुपये) तथा भण्डार मूल्य खातों के अनुसार (6.93 करोड़ रुपये) भण्डार-शेषों में 1.15 करोड़ रुपये का अन्तर था ।

(v) 34.70 लाख रुपये की राशि का समायोजन लेखाओं के उपयुक्त शीर्षों के अन्तर्गत होना लम्बित था । बकायाओं का वर्षवार विभाजन तथा आइटमों का इकाई-बार विश्लेषण उपलब्ध नहीं था ।

(vi) राजस्थान परमाणु उर्जा स्टेशन को देय बकाया ब्याज प्रभार के 73.62 लाख रुपये असावधानीवश ब्याज के अन्तर्गत दर्शाने के बजाय खरीदी गई विद्युत् की लागत में शामिल कर लिये गये ।

1.5 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

1.5.1 सन्निहित अधिनियम की धारा 23 (i) के अन्तर्गत निगम की पूंजी, 31 मार्च 1985 तक 35.97 करोड़ रुपये (25.57 करोड़ रुपये का अंशदान राज्य सरकार द्वारा तथा 10.40 करोड़ रुपये का केन्द्र सरकार द्वारा किया गया) की तुलना में 31 मार्च 1986 तक 41.03 करोड़ रुपये (28.35 करोड़ रुपये का अंशदान राज्य सरकार द्वारा तथा 12.68 करोड़ रुपये का केन्द्र सरकार द्वारा किया गया) थी । वर्ष 1985-86 तक निगम द्वारा 6.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज-दर से पूंजी पर ब्याज के 2.35 करोड़ रुपये (राज्य सरकार को 1.65 करोड़ रुपये तथा केन्द्र सरकार को 0.70 करोड़ रुपये) देय हैं ।

इसके अतिरिक्त, निगम बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्यों का 31 मार्च 1986 को 8 करोड़ रुपये की राशि के कर्जों का कर्जदार है । निगम द्वारा अन्य स्रोतों से लिये गये कर्जों के चुकारे तथा उस पर ब्याज के भुगतान की गारन्टी भी राज्य सरकार ने दी है ।

31 मार्च 1986 को ऐसे कर्जों की गारन्टी दी गई तथा उसके समक्ष बकाया राशि 0.2 करोड़ रुपये थी । सरकार द्वारा दी गई गारन्टी के प्रतिफल में सरकार को देय गारन्टी कमीशन के भुगतान के 1985-86 के अन्त तक 0.14 लाख रुपये बकाया थे ।

1.5.2 वर्ष 1985-86 तक 3 वर्षों की समाप्ति पर निगम की वित्तीय स्थिति तथ 1985-86 तक अन्तिम तीन वर्षों के दौरान भौतिक निष्पादन की स्थिति अनुबन्ध 7 तथा 8 सारांश में दी गई है ।

1.5.3 वर्ष 1985-86 तक अन्तिम 3 वर्षों के लिये निगम के कार्यकारी परिणामों के ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :-

	1983-84	1984-85	1985-86
	(रुपये करोड़ों में)		
1. राजस्व	78.44	87.60	1,01.85
2. व्यय			
(क) ब्याज	2.91	2.93	3.32
(ख) अन्य व्यय	74.89	82.86	96.69
योग–2	77.80	85.79	1,00.01
3. वर्ष के लिये निवल लाभ (+)/हानि (–)	(+)0.64	(+)1.81	(+)1.84
4. (क) नियोजित पूंजी	2.84	6.98	17.09
(ख) निवेशित पूंजी	2.49	6.59	17.89
5. कुल प्रतिलाभ			
–नियोजित पूंजी पर	4.24	5.68	4.92
–निवेशित पूंजी पर	4.07	5.52	4.48
6. प्रतिलाभ की प्रतिशतता			
–नियोजित पूंजी पर	149.06	81.5	28.8
–निवेशित पूंजी पर	163.2	82.2	25.0

1.5.4 वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के लिए निगम के लेखाओं की लेखा परीक्षा के दौरान जारी प्रारम्भिक टिप्पणियों के आधार पर, निगम ने अपने लेखाओं को संशोधित किया जिसके फलस्वरूप 1982-83 में 0.90 करोड़ रुपये से, 1983-84 में 0.86 करोड़ रुपये से तथा 1984-85 में 1. 53 करोड़ रुपये से हानि की वृद्धि हुई। वर्ष 1982-83 के लेखाओं में दर्शायी गई 6.68 करोड़ रुपये की निवल हानि वर्ष 1982-83 के लिये राजस्थान यात्री कर एवं माल कर का भुगतान न करने/विलम्ब से करने से 2.96 करोड़ रुपये की ब्याज देयता का प्रावधान न करने के कारण कम बताई गई थी। वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 से सम्बन्धित कर की 4.97 लाख रुपये की राशि के भुगतान पर ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया। इस समायोजन के पश्चात् 31 मार्च 1983 तक संचित हानि, लेखों में दर्शाये गये 39.15 रु. करोड़ रुपये की अपेक्षा 47.08 करोड़ रुपये होगी।

1.6 राजस्थान वित्त निगम

1.6.1 31 मार्च 1985 को तथा 31 मार्च 1986 को निगम की प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रुपये थी (4.78 करोड़ रुपयों का अंशदान राज्य सरकार द्वारा, 4.78 करोड़ रुपये का इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट बैंक ऑफ इन्डिया (आई डी बी आई) द्वारा तथा 0.44 करोड़ रुपये का अनुसूचित बैंक, बीमा कम्पनियों तथा अन्यों द्वारा)।

सरकार ने अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत 9.50 करोड़ रुपये की हिस्सा पूंजी (अधिनियम की धारा 4-ए के अन्तर्गत ली गई 0.50 करोड़ रुपये की विशेष हिस्सा पूंजी को छोड़कर) के चुकारे तथा उस पर 3.5 प्रतिशत की दर से लाभांश के भुगतान की गारन्टी दी थी। निगम ने राज्य सरकार

से तथा आई डी बी आई से समानानुपात में कर्जा भी लिया था। जिसे हिस्सा पूंजी से परिवर्तित करना था। 31 मार्च 1985 के 17.60 करोड़ रुपये के इक्विटी कर्ज के समक्ष 31 मार्च 1986 को इक्विटी कर्जा 24.00 करोड़ रुपये था। हालांकि अधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपये से 20 नवम्बर 1985 को बढ़कर 50 करोड़ रुपये हो गई, इक्विटी कर्ज को, हिस्सा पूंजी में परिवर्तित नहीं किया गया।

सरकार ने बॉण्ड जारी करके लिये गये कर्जे (6 से 9.75 प्रतिशत ब्याज दर पर 73.77 करोड़ रुपये) के चुकारे तथा उस पर ब्याज के भुगतान की गारन्टी दी थी। 31 मार्च 1986 को मूलधन की बकाया राशि 107.77 करोड़ रुपये थी।

1.6.2 वर्ष 1985-86 तक 3 वर्षों की समाप्ति पर निगम की वित्तीय स्थिति तथा 1985-86 तक 3 वर्षों के दौरान भौतिक निष्पादन को सारांश में अनुबन्ध 9 तथा 10 में दिया गया है।

1.6.3 निगम ने 1 अप्रैल 1983 से लेखे की व्यापारिक पद्धति को छोड़कर रोकड़ लेखा पद्धति को अपना लिया है।

निम्नलिखित सारणी में 1985-86 तक के तीन वर्षों के लिए निगम के कार्यचालन परिणामों के ब्यौरे दिये गये हैं :

	1983-84	1984-85	1985-86
		(रुपये करोड़ों में)	
1. आय			
(क) लाभांश एवं ब्याज	6.53	13.54	17.06
(ख) अन्य आय	0.55	0.54	0.51
योग–1	7.08	14.08	17.57
2. व्यय			
(क) ब्याज	6.29	11.71	14.50
(ख) वेतन तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों सहित अन्य वित्तीय व्यय	1.96	2.45	3.35
(ग) मूल्य ह्रास	0.03	0.06	0.05
(घ) अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	..	..	..
योग–2	8.28	14.22	17.90
3. कर पूर्व लाभ (+)/हानि (–)	(–) 1.21	(–) 0.14	(–) 0.33
4. अन्य विनियोग	1.54	0.47	..
5. लाभांश के लिय उपलब्ध राशि	0.33	0.33	..
6. अदा किया गया लाभांश	0.33	0.33	..
7. कुल प्रतिलाभ			
–नियोजित पूंजी पर	5.08	11.57	14.17
–निवेशित पूंजी पर	5.08	11.57	14.17
8. (क) नियोजित पूंजी	1,51.47	1,80.10	2,04.54
(ख) निवेशित पूंजी	1,66.08	1,94.12	2,14.97
9. प्रतिलाभ की प्रतिशतता			
(क) नियोजित पूंजी पर	3.4	6.4	6.9
(ख) निवेशित पूंजी पर	3.1	6.0	6.6

वर्ष 1985-86 के दौरान हानि, 1984-85 के दौरान 0.14 करोड़ रुपये की हानि की तुलना में बढ़कर 0.33 करोड़ रुपये हो गई ।

1.6.4 जैसाकि अनुबन्ध 10 में दिये गये ब्यौरों में दर्शाया गया है, 31 मार्च 1986 को कर्जदारों से 2,02.95 करोड़ रुपये की बकाया राशि (जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है) में से, 50.89 करोड़ रुपये की राशि वसूली के लिये अतिदेय थी । कुल बकाया राशि पर अतिदेय राशि की प्रतिशतता 1983-84 में 16.3 से 1984-85 में बढ़कर 19.3 तथा आगे 1985-86 में बढ़कर 25.1 हो गई ।

अतिदेय राशि के बारे में आगे और बिन्दू नीचे दिये जाते हैं :

(i) 31 मार्च 1986 को कुल अतिदेय कर्जों का वर्षवार विश्लेषण निम्नलिखित था :

	मूलधन	ब्याज	योग
		(रुपये करोड़ों में)	
एक वर्ष से कम	6.22	4.33	10.55
1 वर्ष से अधिक	27.35	12.99	40.34
	33.57	17.32	50.89

(ii) 31 मार्च 1986 को, 1504 इकाइयां बन्द हो गयी थीं । इन इकाइयों में निगम का निवेश 37.43 करोड़ रुपये था ।

(iii) निम्नलिखित सारणी, 1985-86 तक तीन वर्षों की समाप्ति पर अतिदेय वसूलियों में शामिल वाद प्रस्तुत किये गये तथा अन्य प्रकरणों के ब्यौरे बतलाती है :

	अतिदेय			कुल अतिदेय वसूलियों पर
	वाद प्रस्तुत किये गये प्रकरण	अन्य	योग	वाद प्रस्तुत किये गये प्रकरणों की प्रतिशतता
		(रुपये करोड़ों में)		
1984	0.28	24.74	25.02	1.1
1985	0.30	34.55	34.85	0.9
1986	0.31	50.58	50.89	0.6

16,167 प्रकरणों में 50.89 करोड़ रुपये की राशि की अतिदेय वसूलियों के विषय में 0.31 करोड़ रुपये की राशि के प्रकरणों के लिए वाद प्रस्तुत किये गये थे ।

1.7 राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम

1.7.1 निगम की प्रदत्त पूंजी, 31 मार्च 1985 को 2.68 करोड़ रुपये (1.34 करोड़ रुपये का अंशदान राज्य सरकार द्वारा तथा 1.34 करोड़ रुपये का केन्द्रीय भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा) के समक्ष, 31 मार्च 1986 को 2.73 करोड़ रुपये (1.39 करोड़ रुपये का अंशदान राज्य सरकार द्वारा तथा 1.34 करोड़ रुपये का केन्द्रीय भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा) थी ।

1.7.2 सरकार ने, निगम द्वारा नाबार्ड पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया से प्राप्त कर्जे के मूलधन के चुकारे और उस पर ब्याज के भुगतान की गारन्टी दी थी। उसके समक्ष 31 मार्च 1986 को बकाया मूलधन की राशि 1.21 करोड़ रुपये थी। सरकार द्वारा दी गई गारन्टी के प्रतिफल में सरकार को देय गारन्टी कमीशन का भुगतान 1985-86 के अन्त पर 1.21 लाख रुपये तक बकाया था।

1.7.3 वर्ष 1985-86 तक अन्तिम तीन वर्षों के लिये वित्तीय स्थिति भौतिक निष्पादन तथा कार्यचालन परिणाम के आंकड़े संक्षेप में अनुबन्ध 11, 12 तथा 13 में दिये गये हैं।

अध्याय II

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षा

2. चीनी कारखाना––गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

2.1 प्रस्तावना

कम्पनी की इकाइयों में से एक गंगानगर स्थित चीनी कारखाना है जिसकी स्थापित क्षमता प्रतिदिन 1000 मी. टन गन्ने की पेराई तथा 600 मी. टन चुकन्दर का विसरण है। कारखाने के कार्यचालन की गत समीक्षा वर्ष 1979-80 के लिये भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में शामिल की गई थी। वर्तमान समीक्षा में वर्ष 1981-82 से 1985-86 के दौरान इसका निष्पादन शामिल है।

2.2 कार्यकारी परिणाम

निम्नलिखित सारणी 1985-86 तक के पांच वर्षों के लिये कारखाने के कार्यकारी परिणाम (मुख्यालय के स्थायी खर्च को छोड़कर) दर्शाती है :

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
			(रुपये लाखों में)		
क--निर्गत					
1. कारोबार (विक्रय)	1,76.00	2,10.42	4,55.72	8,89.70	4,16.50
2. अन्य राजस्व	6.84	9.48	12.17	8.61	14.71
3. व्यापार में स्टाक	1,57.99	3,14.69	4,37.14	2,44.64	1,82.68
4. प्रगति में कार्य	5.04	1.74	3.19	1.99	3.53
5. विविध	–	1.42	–	–	–
	3,45.87	5,37.75	9,08.22	11,44.94	6,17.42
ख–निवेश	4,77.73	6,87.00	10,15.29	11,69.65	6,85.94
योग	4,77.73	6,87.00	10,15.29	11,69.65	6,85.94
ग–लाभ (+)/हानि (–) (क–ख)	(–) 1,31.86	(–) 1,49.25	(–) 1,07.07	(–) 24.71	(–) 68.52

उपरोक्त सारणी से प्रकट होगा कि कारखाने ने सभी वर्षों में हानि उठाई; वर्ष 1984-85 के दौरान हानि कम हुई किन्तु 1985-86 में बढ़ गई। सरकार ने हानि को निम्न कारणों से ऊंची लागत को उपारोपित किया (अप्रैल 1987):

(i) गन्ने तथा चुकन्दर के क्रय मूल्य में वृद्धि;
(ii) भण्डार सामग्री तथा अतिरिक्त साज सामान की लागत में वृद्धि;
(iii) वेतन तथा मजदूरी में वृद्धि;
(iv) स्थापित पेराई क्षमता का कम उपयोग।

प्रतिकूल कार्यचालन परिणामों का योगदायी कारण मुख्यरूप से गन्ने की अनुपलब्धता रहा। वर्ष 1982-83 तक बिजली की अनियमित आपूर्ति भी प्रतिकूल कार्यचालन परिणामों का योगदायी कारण रहा। आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत नये बॉयलर तथा टर्बो सेट चालू करने (मई 1983) के पश्चात् स्थिति में सुधार हुआ। वर्ष 1984-85 की तुलना में वर्ष 1985-86 में बिक्री में तेजी से गिरावट आई जिसके परिणाम स्वरूप हानि में वृद्धि हुई। गन्ना उत्पादकों की हड़ताल तथा पायरिल्ला (एक कीड़ा) द्वारा फसल को क्षति पहुंचाना साथ ही सूखे की स्थिति के कारण से गन्ने की कम उपलब्धता के कारण बहुत ही अल्प मात्रा में गन्ना पेराने के फलस्वरूप वर्ष 1985-86 में हानि में वृद्धि हुई।

2.3 गन्ने एवं चुकन्दर की खरीद

2.3.1 गन्ना (नियन्त्रण) आदेश, 1966 के अन्तर्गत, राज्य सरकार ने कतिपय क्षेत्रों को आरक्षित किया है जहां गन्ना उत्पादकों से अपेक्षित है कि वे गन्ना उपज का 75 प्रतिशत गन्ना कारखाने को आपूर्त करें। आरक्षित क्षेत्रों के गन्ना उत्पादकों से गन्ना कारखाने के फाटक पर तथा सड़क केन्द्रों पर खरीदा गया।

लेखापरीक्षा द्वारा मापक जांच के दौरान यह ध्यान में आया कि वर्ष 1985-86 के दौरान इलाके के 1195 कृषकों में से 440 कृषकों ने गन्ना आपूर्त नहीं किया तथा 455 कृषकों ने 75 प्रतिशत से कम गन्ना आपूर्त किया तथा शेष 300 कृषकों ने 75 प्रतिशत या अधिक गन्ना आपूर्त किया। वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान क्रमशः 11.22 लाख क्विंटल तथा 11.58 लाख क्विंटल की खरीद के समक्ष 1985-86 के दौरान गन्ने की खरीद केवल 3.23 लाख क्विंटल ही थी।

सरकार ने अप्रैल 1987 में बताया कि 1985-86 में गन्ने की कम खरीद पायरिल्ला (एक कीड़ा) द्वारा फसल को क्षति पहुंचाने तथा ज़िले में सूखे की स्थिति के कारण थी।

2.3.2 गन्ना परिवहन प्रभार

गन्ने का क्रय मूल्य जो कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित किया हो कारखाने द्वार पर आपूर्ति के लिये देय है। गन्ना (नियन्त्रण) आदेश में प्रावधान है कि यदि सुपुर्दगी क्रय केन्द्र पर ली जाती है तथा कम्पनी द्वारा अपने परिवहन से गन्ना ढोया जाता है तो कारखाना फाटक पर सुपुर्दगी के लिये निर्धारित मूल्य से 32 पैसे प्रति क्विंटल की छूट दी जाय। कम्पनी गन्ने की कुछ मात्रा सड़क केन्द्रों पर भी खरीदती रही है तथा किराये के वाहनों के माध्यम से गन्ना कारखाने तक ढोती रही है। यह देखा गया कि 1981-82 से 1985-86 तक के 5 वर्षों के दौरान कम्पनी ने 6.80 लाख क्विंटल गन्ना सड़क केन्द्रों पर खरीदा तथा कारखाना फाटक तक गन्ना ढोने पर 33.57 लाख रुपये व्यय किये जिसकी तुलना में 0.32 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 2.18 लाख रुपये की कटौती की गई। इस प्रकार, सड़क केन्द्र पर गन्ना खरीदने पर कम्पनी को 31.39 लाख रुपये का अधिक व्यय करना पड़ा। इसके फलस्वरूप, 1981-82 से 1985-86 तक के 5 वर्षों के दौरान उत्पादित चीनी की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत क्रमशः 15.69 रुपये, 14.42 रुपये, 7.03 रुपये, 8.07 रुपये तथा 2.50 रुपये से बढ़ गई।

2.3.3 कम्पनी द्वारा प्रतिपादित कृषि वित्त योजना के अन्तर्गत, 4 लाख रुपये तक की सीमा के कर्जे उन गन्ना तथा चुकन्दर उत्पादकों को दिये गये थे जिन्होंने अपनी उपज का कम से कम 90 प्रतिशत चीनी कारखाने को आपूर्त करने का वचन दिया था। कम्पनी में ऐसे चूक कर्ताओं का पता लगाने के लिये विवरण देने की कोई प्रणाली नहीं थी जिन्होंने कर्ज प्राप्त किया हो किन्तु उपज की आपूर्ति न की हो । निम्नलिखित सारणी 30 जून 1986 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त पर दिये गये कर्जे, वसूली गई राशि तथा बकाया शेष दर्शाती है :

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान दिये गये कर्जे	वर्ष के दौरान वसूली की गई राशि	वर्ष के अन्त पर बकाया राशि
		(रुपये लाखों में)		
1981-82	2.95	6.96	5.56*	4.35
1982-83	4.35	19.84	7.25	16.94
1983-84	16.94	15.14	21.47	10.61
1984-85	10.61	9.91	13.81	6.71
1985-86	6.71	10.16	10.76	6.11

कर्जे मय 18* तथा 16** प्रतिशत वार्षिक ब्याज के पेराई मौसम के दौरान आपूर्त गन्ने। चुकन्दर के लिये उत्पादकों को देय भुगतान से वसूलनीय थे। वर्ष 1985-86 की समाप्ति पर 2.20 लाख रुपये उन उत्पादकों से वसूली के लिये अतिदेय थे जिन्हें कर्जे दिये गये थे। यह 2.20 लाख रुपये की राशि बकाया मूलधन की द्योतक है तथा उस पर देय ब्याज इसमें शामिल नहीं है। कम्पनी ने अनुमान लगाया था कि उत्पादकों से ब्याज के प्रति 1.15 लाख रुपये वसूलनीय थे। अतिदेय राशि का अवधि वार विभाजन निम्न प्रकार था :

	राशि (रुपये लाखों में)
(i) पाँच वर्ष तथा अधिक	0.57
(ii) तीन वर्ष तथा अधिक किन्तु पाँच वर्ष से कम	0.29
(iii) एक वर्ष तथा अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम	1.34
योग	2.20

2.4 आधुनिकीकरण परियोजना

2.4.1 चीनी कारखाने के आधुनिकीकरण की एक योजना, जिसका उद्देश्य परिचालन लागत कम करना था, 1977 में अनुमोदित की गई।

योजना में 1,61.80 लाख रुपये की लागत पर अक्टूबर 1979 तक संयंत्र तथा मशीनरी चालू करना परिकल्पित था किन्तु यह वास्तव में 2,99.61 लाख रुपये की लागत पर मई 1983 में चालू की गई।

---

*कम्पनी द्वारा अपलिखित 0.30 लाख रुपये की वसूलनीय राशि शामिल है।

**1983-84 तक 18 प्रतिशत तथा उसके पश्चात् 16 प्रतिशत की दर से।

आधुनिकीकरण का कार्य, अक्टूबर 1977 में निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात् यमुनानगर की एक फर्म को "टर्न" के आधार पर सौंपा गया। अप्रैल 1978 में निष्पादित अनुबन्ध के आधार पर फर्म को 113 लाख रुपये की लागत पर संयंत्र तथा मशीनरी आपूर्त एवं स्थापित करनी थी तथा परियोजना 1979-80 के गन्ना पेराई मौसम में चालू की जानी थी। तथापि, भवन की नींव एवं निर्माण आदि से सम्बन्धित सिविल निर्माण-कार्यों के निष्पादन का उत्तरदायित्व कम्पनी का था।

फर्म ने नवम्बर 1979 में संयन्त्र तथा मशीनरी की आपूर्ति प्रारम्भ की तथा परियोजना मई 1983 में शुरू हुई। लगभग 43 महिनों का विलम्ब मुख्यतः निम्न कारणों से था :

(i) फर्म के निर्माण-कार्यों साथ ही साथ उप ठेकेदारों के निर्माण-कार्यों में हड़ताल;
(ii) बिजली की कटौती;
(iii) रेलवे द्वारा माल बुकिंग का अनिश्चित निलम्बन;
(iv) तीसरी किस्त के भुगतान में विलम्ब; तथा
(v) सिविल निर्माण-कार्यों का निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण न होना।

कम्पनी ने, सिविल निर्माण-कार्य, मशीनरी तथा उपकरण का आपूर्ति आदेश देने के लगभग 2 वर्षों के बाद फरवरी 1980 में राजस्थान राज्य पुल तथा निर्माण निगम लिमिटेड (आर बी सी सी) को सौंपे। आर बी सी सी से, मई 1980 के मध्य में टर्बो आल्टरनेटर के लिये नींव तथा प्लेटफार्म एवं अक्टूबर 1980 के मध्य में बॉयलर घर भवन सुपुर्द करना अपेक्षित था। किन्तु, बॉयलर घर भवन 15 जून 1982 को तथा टर्बो आल्टरनेटर के लिये नींव तथा प्लेटफार्म 15 सितम्बर 1982 को सुपुर्द किया गया। प्रबन्ध मण्डल ने सितम्बर 1983 में बताया कि आर बी सी सी द्वारा सिविल निर्माण-कार्यों को पूरा करने में विलम्ब निम्न कारणों से था :

(1) आर बी सी सी द्वारा औद्योगिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति में विलम्ब;
(2) मशीनरी नींव तथा औद्योगिक भवन के रूपांकन में आर बी सी सी के अनुभव की कमी जिसके फलस्वरूप बार बार संशोधन करने पड़े;
(3) परामर्शदाता द्वारा डिजायनों का टुकड़ों में देना जिसके फलस्वरूप सटी हुई नींवें परस्पर व्याप्त हो गई जिसके परिणाम स्वरूप बार बार संशोधन करने पड़े; तथा
(4) सीमेन्ट और स्टील की अनुपलब्धता।

उपरोक्त से यह दर्शित होगा कि परियोजना के पूरा होने में विलम्ब का कारण सिविल निर्माण-कार्य आर बी सी सी को प्रदान करना था जिसे मशीनरी नींव तथा औद्योगिक भवनों के रूपांकन में कोई अनुभव नहीं था। आर बी सी सी से, निर्माण-कार्य के पूरा होने में विलम्ब के मामले में शास्ति के लिये प्रावधान सहित विस्तृत शर्तों को रखते हुए कोई अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया गया।

आधुनिकीकरण योजना के पूरा होने में विलम्ब से, 28.54 लाख रुपये से लागत वृद्धि के अलावा, आधुनिकीकरण के फलस्वरूप 1979-80 तथा आगे के वर्षों से 24 लाख रुपये के प्रत्याशित आवर्ती वार्षिक लाभ प्राप्त नहीं हो सका। प्रबन्धकों ने आधुनिकीकरण से वर्ष 1983-84 के दौरान हुई 26.33 लाख रुपये की बचत का पता लगाया था (दिसम्बर 1984)। इस प्रकार तीन वर्षों के विलम्ब से कम्पनी को 72 लाख रुपये के लाभ से वंचित रहना पड़ा।

आधुनिकीकरण परियोजना के वित्त प्रबन्ध के लिये कम्पनी ने आई डी बी आई (67 लाख रुपये) तथा आई एफ सी आई (67 लाख रुपये) से 134 लाख रुपये का कर्ज लिया था। कर्जे की आधी राशि पर 8.10 प्रतिशत की रियायती दर से तथा शेष राशि पर 11.85 प्रतिशत की सामान्य दर से ब्याज देय था। कम्पनी को, आशय-पत्र का दिनांक अथवा कर्ज अनुबन्ध का दिनांक, जो भी पहले आवे, से

6 माह पश्चात् तक अनाहरित रही राशि पर 0.5 प्रतिशत की दर से वचनबद्धता प्रभार (अर्ध वार्षिक देय) अदा करना था। निधियों के आहरण में विलम्ब के कारण कम्पनी को वचनबद्धता प्रभार की 1.61 लाख रुपये की राशि अदा करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त मई 1981 तथा दिसम्बर 1986 के मध्य दो कर्ज 12 छमाही किस्तों में चुकाने थे। तथापि, कम्पनी 1981 तथा 1982 में देय 30 लाख रुपये मूलधन राशि की 4 किस्तें नहीं चुका सकी। अतएव, अतिदेय किस्तों (60 लाख रुपये) का क्रमशः रियायती कर्ज के लिये 12.5 प्रतिशत तथा सामान्य कर्ज के लिये 14 प्रतिशत की चालू ब्याज दर पर पुनर्निर्धारण स्वीकार किया गया। पुनर्निर्धारण के कारण कम्पनी को 6.03 लाख रुपये की अतिरिक्त ब्याज देयता वहन करनी पड़ी।

2.5 उत्पादन निष्पादन

2.5.1 क्षमता उपयोजन

निम्नलिखित सारणी 1985-86 तक के 5 वर्षों के दौरान स्थापित क्षमता के उपयोजन दर्शाती है :

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
गन्ना					
(i) पेराई प्रतिदिन की स्थापित क्षमता (मी. टनों में)	1000	1000	1000	1000	1000
(ii) पेराई की अवधि (दिनों में)	77	104	141	124	55
(iii) पेराई की अवधि में निर्धारित पेराई (लाख क्विंटलों में)	7.70	10.40	14.10	12.40	5.50
(iv) वास्तविक पेराई (लाख क्विंटलों में)	5.13	7.11	11.58	11.22	3.23
(v) पेराई में कमी	2.57	3.29	2.52	1.18	2.27
(vi) निर्धारित पेराई के संदर्भ में कमी की प्रतिशतता	33.4	31.6	17.4	9.7	41.2
(vii) उत्पादित चीनी (लाख क्विंटलों में)	0.36	0.60	1.05	1.11	0.30

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
(viii) उत्पादित सीरा (लाख क्विंटलों में)	0.27	0.37	0.67	0.56	0.15
चुकन्दर					
(i) चुकन्दर विसरण प्रतिदिन की स्थापित क्षमता (मी. टनों में)	600	600	600	600	600
(ii) विसरण की अवधि (दिनों में)	37	49	45	28	37
(iii) विसरण अवधि में निर्धारित विसरण (लाख क्विंटलों में)	2.22	2.94	2.70	1.68	2.22
(iv) वास्तविक विसरण (लाख क्विंटलों में)	1.94	2.29	2.42	1.45	2.05
(v) विसरण में कमी (लाख क्विंटलों में)	0.28	0.65	0.28	0.23	0.17
(vi) निर्धारित विसरण के संदर्भ में कमी की प्रतिशतता	12.7	22.7	10.3	13.7	7.9
(vii) उत्पादित चीनी (लाख क्विंटलों में)	0.18	0.22	0.19	0.14	0.21
(viii) उत्पादित सीरा- (लाख क्विंटलों में)	0.09	0.11	0.13	0.86	0.88

क्षमता उपयोजन की कमी की प्रतिशतता 1985-86 तक के 5 वर्षों के दौरान चीनी के मामले में 9.7 तथा 41.2 के मध्य तथा चुकन्दर के मामले में 7.9 तथा 22.7 के मध्य रही जो चीनी तथा चुकन्दर की उपलब्धता में कमी के कारण थी।

प्रबन्धकों ने बताया (मार्च 1987) कि सरकार द्वारा कारखाने हेतु गन्ना फसल के लिये आरक्षित मौजूदा क्षेत्र, संयन्त्र के पूर्व उपयोजन के लिये अपेक्षित मात्रा उत्पन्न करने के लिये पर्याप्त है किन्तु फसल के लिये एक मात्र बाधा पानी की उपलब्धता के बारे में है तथा यह कि पानी की उपलब्धता बढाने के लिये सिंचाई विभाग/ सरकार से कम्पनी द्वारा किये गये निवेदन को स्वीकारा नहीं गया था ।

2.5.2 चीनी का उत्पादन

1985-86 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों के दौरान गन्ने से चीनी प्राप्त करने का प्रतिशत 7.0, 8.4, 9.1, 9.9 तथा 9.1 तथा चुकन्दर से चीनी प्राप्त करने का प्रतिशत 9.3, 9.6, 7.8, 9.8 तथा 10.2 था। वर्ष 1981-82 तथा 1982 - 83 के दौरान गन्ने से चीनी प्राप्त करने की कम प्रतिशतता को प्रबन्धकों ने सिंचाई नहरों में गन्ने के लिये पानी की कमी, जो जिले में सतत सूखा स्थिति तथा 1981–82 में उच्च जलवायु तापक्रम के कारण थी , को उपारोपित किया । वर्ष 1983-84 के दौरान चुकन्दर से चीनी प्राप्त करने की कम प्रतिशतता को नहरी पानी की कम उपलब्धता के साथ साथ उच्च जलवायु तापक्रम को उपारोपित किया ।

2.5.3 चीनी के मामले में, 1970 में भारत सरकार द्वारा प्रक्रिया हानि के निर्धारित मानक 2.5 प्रतिशत के समक्ष जून 1986 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों के दौरान चीनी की प्रक्रिया हानि की प्रतिशतता 2.8 से 3.1 के मध्य रही । सरकार ने बताया (अप्रैल 1987) कि गन्ना फसल को परिवर्ती दशाओं, जो कि जलवायु, वर्षा, कीडों तथा बीमारियों से प्रभावित होती हैं, तथा कारखाने के संयन्त्र एवं मशीनरी की स्थिति के कारण निर्धारित मानक नहीं बनाये रखे जा सके ।

चुकन्दर के मामले में जून 1986 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों के दौरान प्रक्रिया हानि का प्रतिशत 3.0 से 4.1 के मध्य रहा , वास्तविक प्रक्रिया हानियों का औचित्य निश्चित करने के लिये कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये थे। प्रबन्धकों ने बताया कि चुकन्दर के लिये प्रक्रिया हानि के मानक निर्धारित नहीं किये गये थे क्योंकि चुकन्दर से चीनी तैयार करने वाली अन्य कोई चीनी कारखाना भारत में नहीं है तथा इस कारखाने में पिछले अनुभव के आधार पर ये निर्धारित नहीं किये जा सकते क्योंकि हर वर्ष चीनी की प्राप्ति (रिकवरी) तथा कुल हानियों के आंकडों में भिन्नता थी ।

2.5.4 उपोत्पाद

चीनी कारखाने के उपोत्पाद सीरा, 'प्रेस मड', गन्ने की सीठी तथा चुकन्दर का गूदा हैं । गन्ने का सीरा कम्पनी द्वारा परिशोधित स्पिरिट बनाने के लिये अपनी मद्य निर्माणशाला (डिस्टीलरी) में काम में लाया जाता है, जबकि गन्ने की सीठी पूणतया चीनी कारखाने में बायलरों में भाप बनाने के लिये बन्द ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है । चुकन्दर का गूदा तथा 'प्रेस मड' क्रमशः पशु आहार तथा खाद बनाने के उपयोग के लिये बेचे जाते हैं । चुकन्दर का सीरा विटामिन 'बी' का प्रचुर स्रोत होने के कारण फार्मासियूटिकल उद्योग में एक मूल्यवान कच्चा माल है ।

कम्पनी बम्बई की एक फार्मासियूटिकल फर्म को हर वर्ष, निविदाएं आमन्त्रित किये बिना, परस्पर वार्तालाप द्वारा तय मूल्यों पर चुकन्दर का सीरा 1974 से बेच रही है । सम्बन्धित वर्षों के

मूल्य, उत्पादन तथा उत्पादन से उठाई गई मात्रा नीचे दी गई है :

	उत्पादन वर्ष			
	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
मूल्य (रुपये प्रति टन)	3,000	3,300	3,630	3,630
उत्पादन (टनों में)	848	1,132	1,170	575
उठाई गई मात्रा (टनों में)	695	1,032	144	468

वर्ष 1983-84 के उत्पादन में से फर्म द्वारा असाधारण रूप से कम मात्रा में खरीद इस कारण से की गई थी कि परिशोधन प्रक्रिया के दौरान कम्पनी द्वारा सल्फर का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से उस वर्ष के उत्पादन में गुणवत्ता का ह्रास हो गया था। इस घटिया उत्पाद में से 503 मी. टन मात्रा कम्पनी द्वारा एक पशु आहार संयंत्र को 750 रुपये प्रति मी. टन की दर से बेची गई तथा 477 मी. टन मात्रा अपनी स्वयं की मद्य निर्माण शाला को 60 रुपये प्रति मी. टन की दर से बेची गई। इसके फलस्वरूप 31.52 लाख रुपये की कम प्राप्ति हुई।

सरकार ने बताया (अप्रैल 1987) कि मई 1984 के प्रथम सप्ताह के पश्चात विसरण के लिये कारखाने में लाई गई चुकन्दर की निस्तेज जड़ों में से विक्रय योग्य चीनी के उत्पादन के लिये परिशोधन प्रक्रिया में सल्फर डायआक्साइड गैस का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ा था।

2.6 अन्य रुचिकर मुद्दे

2.6.1 प्रबन्ध एजेन्टों द्वारा कोयले की विलम्ब से सुपुर्दगी–2.20 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय

1000 मी. टन स्टीम कोयले के परिवहन के लिये नियुक्त (दिसम्बर 1982) कोयला प्रबन्ध एजेन्टों को, आदेश प्राप्ति के 45 दिनों के अन्दर कोयला परिवहित करना था। एजेन्ट को 12 नवम्बर 1982 के प्रत्येक 500 मी. टन के दो निर्मुक्ति आदेश आवश्यक धनादेश के साथ जनवरी 1983 में दिये गये। एक निर्मुक्ति आदेश मय धनादेश के उसने फरवरी 1983 में यह कहकर लौटा दिया कि कोल इन्डिया लिमिटेड ने कोयला निर्मुक्त करने से इन्कार कर दिया था। एजेन्ट ने दूसरे निर्मुक्ति आदेश के प्रति 500 मी. टन की कुल मात्रा मई 1983 तक उठाई किन्तु इसे कम्पनी को निम्न प्रकार आपूर्त किया :

जनवरी से मई 1983	284.735	मी. टन
अक्टूबर 1984	159.600	,,
जून 1985	76.120	,,
	520.455	मी. टन

कारखाने को अप्रैल से जून 1983 के दौरान 3.95 लाख रुपये मूल्य का 121.828 किलो लीटर फर्नेस आइल समय पर प्राप्त नहीं हुए 1.75 लाख रुपये मूल्य के कोयले के स्थान पर काम में लेना पड़ा जिसके फलस्वरूप 2.20 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

एजेन्ट के साथ किसी अनुबन्ध के अभाव में, कम्पनी विलम्ब से आपूर्ति के लिये न तो शास्ति लगा सकी और न ही कोयले के बदले में तेल के उपभोग पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिये क्षतिपूर्ति ही वसूल कर सकी ।

2.6.2 क्वार्टरों के निर्माण में 0.58 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय

डी-टाइप क्वार्टर्स के निर्माण के लिये निविदाएं 28 जनवरी 1985 को खोली गईं । 'आर' का प्रस्ताव निम्नतम था। 31 जनवरी 1985 को अन्य निविदादाताओं में से एक 'एस' ने अपने प्रस्ताव में संशोधन कर उसे 'आर' के प्रस्ताव से कम कर दिया । चूंकि 'एस' द्वारा बयाना राशि का दिया गया चैक अमान्य हो गया था, उससे 4 फरवरी 1985 को निवेदन किया गया कि वह उसके संशोधित प्रस्ताव पर विचार किये जाने से पूर्व बयाना राशि नकद जमा कराये । 'एस' ने नकद बयाना राशि 12 फरवरी 1985 को जमा करायी । 'एस' के संशोधित प्रस्ताव पर विचार किये जाने के विरुद्ध फर्म 'आर' से अभिवेदन प्राप्त होने (14 फरवरी 1985) पर कानूनी राय ली गई जिसके अनुसार कम्पनी को सलाह दी गई कि या तो दोनों निविदाकारों से वार्तालाप किये जा सकते हैं अथवा पुनः निविदाएं आमन्त्रित की जा सकती हैं। कम्पनी ने 18 मार्च 1985 को पुनः निविदाएं आमन्त्रित की तथा निर्माण-कार्य निम्नतम निविदाकार 'टी' को 18 अप्रैल 1985 को उन दरों पर प्रदान किया गया जो जनवरी 1985 में प्राप्त निम्नतम दरों से ऊंची थीं । इस प्रकार, निविदाएं खुलने के पश्चात् दिये गये 'एस' के संशोधित प्रस्ताव पर विचार करने में खुली निविदाएं आमन्त्रित करने की प्रणाली को ही दूषित कर दिया गया तथा कम्पनी को पुनः निविदाएं आमन्त्रित करने में 0.58 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

2.6.3 दण्ड स्वरूप किराये की वसूली न करना

स्टीम कोयले तथा हार्डकोक के प्रेषण के लिये फर्म 'डी' को जुलाई 1984 से जून 1985 की अवधि के लिए प्रबन्ध एजेन्ट नियुक्त किया गया (सितम्बर 1984) । कम्पनी को जनवरी 1985 में प्राप्त कोयले के निर्धारित से अधिक लदान के लिये 0.52 लाख रुपये का दण्ड स्वरूप किराया अदा करना पड़ा । चूंकि कोयला खानों से लदान तथा प्रेषण की देख रेख का कार्य एजेन्टों से अपेक्षित था, अतएव अधिक लदान के लिए वे जिम्मेवार थे । अदा किया गया दण्ड स्वरूप किराया उनसे वसूलनीय था । उसने राशि की वसूली के लिये कम्पनी द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं । सरकार ने बताया (अप्रेल 1987) कि संविदा की शर्त के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

2.7 सारांश

(i) समीक्षाधीन सभी वर्षों में कम्पनी ने हानि उठाई; हानि 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान कम हुई तथा 1985-86 के दौरान पुनः बढ़ गई ।

(ii) गन्ने/चुकन्दर की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न होने के कारण संयंत्र की क्षमता का अधोपयोजन हुआ था ।

(iii) सड़क केन्द्रों पर खरीदे गये गन्ने के परिवहन पर कम्पनी ने 31.39 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया ।

(iv) चुकन्दर का सीरा खुली निविदाएं आमन्त्रित किये बिना केवल एक ही फर्म को 1974 से बेचा जा रहा है ।

(v) चुकन्दर से चीनी की प्रक्रिया हानि की प्रतिशतता 3.0 से 4.1 के मध्य रही । चीनी की प्रक्रियां हानि के कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये थे ।

(vi) आधुनिकीकरण योजना, जो 1,69.80 लाख रुपये की लागत पर अक्टूबर 1979 में पूर्ण होनी थी, 2,99.61 लाख रुपये की लागत पर मई 1983 में चालू हुई। परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब, जिसके फलस्वरूप कि लागत में वृद्धि के साथ साथ 72 लाख रुपये के अभिज्ञेय (पता लगाए गए) लाभ प्राप्त नहीं हुए थे, मुख्यतः आर बी सी सी द्वारा सिविल निर्माण-कार्य पूर्ण करने में विलम्ब के कारण था।

(vii) कोयला प्रबंध एजेन्ट से, जिसने कि कोयला खानों से उठाय गये कोयले की सुपुर्दगी में देरी की थी, 2.20 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय की वसूली नहीं की गई।

अध्याय III

सांविधिक निगमों से संबंधित समीक्षाएं

इस अध्याय में राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल के उच्च दाव (हाई टेंशन) विद्युत् उपभोक्ताओं पर समीक्षा की गई है।

3. उच्च दाव (हाई टेंशन) विद्युत उपभोक्ता-राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 मार्च 1975 से पूर्व उच्च दाव (एच. टी.) विद्युत् उपभोक्ताओं के बिल बनाने का कार्य उपखण्डीय अधिकारियों द्वारा किया जाता था। बिल बनाने के कार्य को सुप्रवाही बनाने हेतु मार्च 1975 में मण्डल द्वारा बिल बनाने के कार्य को जयपुर के वाणिज्यिक वृत्त में केन्द्रित करने का निर्णय लिया एवं तदनुसार 4 मार्च 1975 को यह कार्य वाणिज्यिक वृत्त को हस्तान्तरित कर दिया गया।

जून से अगस्त 1986 के मध्य 12 वृत्तों के 585 उपभोक्ताओं में से 4 वृत्तों (अजमेर, अलवर, जयपुर और कोटा) के 290 एच. टी. उपभोक्ताओं के बिल बनाने के कार्य की समीक्षा में जो बिन्दु दृष्टिगत हुए उन पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.2 सहकारी समिति को बिजली विक्रय—104.77 लाख रुपये की हानि

मण्डल ने 26 फरवरी 1976 को अन्य बातों के साथ सहकारी समिति को एक निश्चित फार्मूले पर आधारित सभी को सम्मिलित करते हुए 7.00 पैसे प्रति यूनिट के प्रशुल्क (टेरिफ) पर प्रचुर मात्रा में 5 वर्ष की अवधि के लिये एवं तत्पश्चात् संशोधन की शर्त पर बिजली आपूर्ति करने का निर्णय लिया। मण्डल द्वारा समिति को इसी दर पर 15 मई 1976 से विद्युत् आपूर्ति की जा रही है।

वर्ष 1974-75 में बोर्ड की उत्पादन की व्यावसायिक लागत (बोर्ड द्वारा उत्पादित/क्रय की गयी विद्युत् की औसत लागत की प्रति यूनिट दर) 7.70 पैसे प्रति यूनिट थी एवं समिति को रियायती प्रशुल्क स्वीकृत किया जाना प्रारम्भिक वर्षों में, समिति के संतुलन स्तर बिन्दु तक पहुंचने के लिए आवश्यक सहायता के प्रतिफल में था।

समिति के कार्य की समीक्षा हेतु राज्य सरकार, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) एवं समिति के प्रतिनिधियों की दिनांक 22 मार्च 1980 एवं 4 अक्टूबर 1983 को बैठक हुयी जिसमें फिलहाल प्रशुल्क न बढ़ाने का निर्णय लिया। अन्य बैठक जो दिनांक 19 फरवरी 1986 को हुयी उसमें निर्णय लिया गया कि समिति को विद्यमान आधार पर ही संशोधित विद्युत् दर निकालने हेतु संबंधित आंकड़े एकत्रित करने चाहिए। फिर भी कोई प्रगति नहीं हुयी एवं समिति द्वारा 15 मई 1976 को अनुबंधित दरों पर ही निरन्तर रूप से अदायगी की जा रही थी।

उत्पादन की व्यावसायिक लागत दर जो 1974-75 में 7.70 पैसे प्रति यूनिट थी वह बढकर 1977-78 में 8.72 पैसे, 1981-82 में 16.77 पैसे, 1982-83 में 19.78 पैसे, 1983-84 में 23.78 पैसे एवं 1984-85 में 28.01 पैसे प्रति यूनिट हो गयी। व्यावसायिक लागत दर के संदर्भ में 1981-82 से 1985-86 की अवधि के दौरान विद्युत् विक्रय के कारण मण्डल को 1,04.77 लाख रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

3.3 अनियमित छूट दिया जाना

विद्युत् (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 78 ए के अधीन अगस्त 1979 में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों एवं शर्तों के आधार पर मण्डल ने नये उद्योगों को एवं विद्यमान उद्योग को सारभूत विस्तार के लिये उन उद्योगों की स्थापना दिनांक (कमिशनिंग) से 5 वर्षों तक प्रशुल्क (टेरिफ) में छूट देने का निर्णय लिया। छूट केवल तभी अनुज्ञेय थी जबकि वह उद्योग, भारत सरकार से आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त होने के दो वर्ष के भीतर उत्पादन प्रारम्भ कर दे एवं निर्माण कार्य के उद्देश्य पर प्रयुक्त बिजली पर यह छूट अनुज्ञेय नहीं थी। अप्रेल 1979 से, उद्योग में विद्युत् रासायनिकी प्रक्रिया में प्रयुक्त बिजली पर 10 प्रतिशत की और भी छूट दी गयी जो कि उपर्युक्त छूट देने के पश्चात् बिल की शेष राशि पर थी।

इस संबंध में निम्नलिखित बातें सामने आयीं:

(i) भारत सरकार द्वारा जारी आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की प्रति प्राप्त किये बिना ही, अलवर, अजमेर एवं जयपुर वृत्तों के 9 एच. टी. उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र के आधार पर ही 6.17 लाख रुपये की छूट दे दी गयी। एक एच. टी. उपभोक्ता जिसने राज्य सरकार का पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था उसको भारत सरकार द्वारा जारी आशय पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण छूट देने से इन्कार कर दिया गया।

(ii) कोटा के एक एच. टी. उपभोक्ता के प्रकरण में 5 वर्ष से भी अधिक के लिये प्रशुल्क में छूट प्रदान कर दी। लेखा परीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने के पश्चात् 17.89 लाख रुपये की वसूली की गयी। इस प्रकरण में मण्डल को 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से राशि 0.87 लाख रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

(iii) अलवर के एक एच. टी. उपभोक्ता को विद्युत् रासायनिक प्रक्रिया के अतिरिक्त विद्युत् भार उपयोग करने पर भी 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी परिणाम स्वरूप 0.88 लाख रुपये की अनियमित छूट स्वीकृत हुई।

(iv) जयपुर के एच. टी. उपभोक्ता को 12.5 प्रतिशत की छूट नये उद्योग के लिए एवं 10 प्रतिशत की छूट विद्युत् रासायनिक प्रक्रिया के लिये स्थापना की दिनांक 1 अक्टूबर 1983 के स्थान पर उसको दिये गये स्थायी कनेक्शन की दिनांक 3 दिसम्बर 1982 से दी गयी जिसके परिणाम स्वरुप दिनांक 3 दिसम्बर 1982 से 30 सितम्बर 1983 की अवधि के लिये 2.59 लाख रुपये की छूट (1.52 लाख रुपये नये उद्योग एवं 1.07 लाख विद्युत् रासायनिक प्रक्रिया हेतु) अग्राह्य थी।

3.4 विद्युत् घटक (पावर फेक्टर)

मण्डल द्वारा जुलाई 1980 में गठित "सुधार समिति" द्वारा यह संप्रेक्षित किया गया कि विद्युत् प्रणाली में अत्यधिक हानियों के कारणों में औद्योगिक सेवाओं में निम्न विद्युत् घटक (लो पावर फेक्टर) भी एक कारण था।

बोर्ड ने अपने आदेश दिनांक 4 अगस्त 1975 पर जोर देते हुये कहा है कि औद्योगिक उपभोक्ता को तब तक नये कनेक्शन नहीं दिये जांय जब तक कि उपभोक्ताओं द्वारा उपयुक्त शंट केपेसिटर

संस्थापित नहीं कर दिये गये हों एवं कनेक्शन जारी करते समय अभियंताओं द्वारा यह भी जांचा जाय कि विद्युत् मोटर्स के संस्थापन, उनके औसत भार से अधिमूल्यांकित या निम्न मूल्यांकित तो नहीं हैं क्योंकि हल्के भार वाली मोटर का प्रवर्तन निम्न विद्युत् घटक स्थिति को दर्शाता है।

प्रशुल्क (टेरिफ) के प्रावधानों के अनुसार, सभी एच. टी. उपभोक्ताओं से औसत विद्युत घटक (फेक्टर) जो कि 0.85 से कम नहीं हो, संधारित किया जाना अपेक्षित था। विद्युत् घटक 0.70 से भी नीचे जाने की स्थिति में संस्थापन विच्छेद कर दिया जाना चाहिये एवं तब तक पुनः नहीं जोड़ा जाना चाहिए जब तक कि मण्डल की संतुष्टि तक औसत विद्युत् घटक में सुधार हो।

एच. टी. उपभोक्ताओं के 1985-86 की अवधि के बिलों की समीक्षा में यह पाया गया कि 118 एच. टी. उपभोक्ताओं के प्रकरण में विद्युत् घटक 0.70 से भी निम्न था एवं 26 एच. टी. उपभोक्ताओं के प्रकरण में पूरे वर्ष के दौरान यह 0.70 से 0.84 के मध्य रहा।

3.5 अप्राप्त बकाया

3.5.1 एच. टी. उपभोक्ताओं को बेची गयी बिजली की देनदारी लेखों की संवीक्षा में पाया कि 359 उपभोक्ता ऐसे थे जिनमें प्रत्येक के 31 मार्च 1986 को रु. 10.000/- और इससे अधिक कुल राशि 55,28.09 लाख रुपये निम्न विवरणानुसार बकाया थी :

श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या	राशि बकाया (लाख रुपयों में)
10 लाख रुपये से अधिक	76	46,34.44
1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक	214	8,59.11
50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक	35	25.46
10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक	34	9.08
	359	55,28.09

76 उपभोक्ताओं में से जिनके विरुद्ध 10 लाख रुपये से अधिक बकाया थे, 10 उपभोक्ता जिनमें 2,68.49 लाख रुपये वाले केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों के हैं एवं शेष 66 उपभोक्ता जिनमें 43,65.95 लाख रुपये बकाया हैं वे निजि उपभोक्ता थे।

31 मार्च 1986 को 290 उपभोक्ता ऐसे थे जिनमें प्रत्येक के विरुद्ध एक लाख रुपये या इससे अधिक एवं कुल 54,93.55 लाख रुपये बकाया थे। बकाया के श्रेणीबद्ध विश्लेषण से निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :

	उपभोक्ताओं की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
(i) न्यायालय में न्यूनतम प्रभार, ईंधन अधिप्रभार, एवं टेरिफ में संशोधन आदि के संबंध में दायर मुकदमों के कारण बकाया	163	38,56.96
(ii) रेल्वे व जलदाय विभाग आदि से पुराने विवादग्रस्त होने के कारण बकाया	27	5,10.65
(iii) ऐसे उपभोक्ताओं से बकाया जिनके कनेक्शन काट दिये गये	64	9,36.02
(iv) अन्य कारणों से बकाया	36	1,89.92
	290	54,93.55

कुछ प्रकरणों के विश्लेषण के परिणाम निम्न प्रकार से दृष्टव्य हैं :

(क) 163 उपभोक्ताओं से वसूली योग्य 38,56·96 लाख रुपयों में से 79 उपभोक्ताओं के 519.32 लाख रुपयों के न्यूनतम प्रभार के लिये विद्युत् कट (पावरकट) को उचित अनुपात में कम किये बिना ही बिल प्रेषण हेतु बनाये गये, इस तथ्य के बावजूद कि मण्डल द्वारा जनवरी 1965 में ही उपभोक्ताओं को इस प्रकार की छूट स्वीकृत की थी।

इन बिलों के विरुद्ध उपभोक्ताओं द्वारा दायर मुकदमों के आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने सितम्बर 1985 में निर्णय दिया कि उपभोक्ताओं के साथ निष्पादित अनुबन्ध के प्रावधानों के आधार पर जनवरी 1980 से नवम्बर 1984 की अवधि में विद्युत् कर (पावर कट) लागू किये जाने के कारण व उचित अनुपात में कमी के हकदार थे। न्यायालय के निर्णय के फलस्वरुप उपभोक्ताओं के संशोधित बिल अभी तक भी तैयार नहीं किये गये थे (मई 1987)।

मण्डल द्वारा अपने वैध बकाया की वसूली में देरी के सिवा इस प्रकरण के बचाव में 3·61 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया।

(ख) माह फरवरी से अप्रेल 1982 तक के विद्युत् प्रभार (रु. 1.27 लाख) का भुगतान न किये जाने के कारण जयपुर के एक एच. टी. उपभोक्ता का सर्विस कनेक्शन 30 अप्रेल 1982 को विच्छेद कर दिया गया था। बिजली आपूर्ति उसी दिन सरकार के हस्तक्षेप के कारण उपभोक्ताओं से बकाया की वसूली किये बिना ही पुनः चालू कर दी गयी क्योंकि उस कारखाने की मजदूर कॉलोनी का बिजली संबंध भी मुख्य कनेक्शन से ही संबंध था। विद्युत् आपूर्ति संबंध 8 नवम्बर 1982 एवं 19 जनवरी 1983 को पुनः विच्छेद किया गया एवं प्रत्येक बार सरकार के हस्तक्षेप के कारण पुनः चालू करना पड़ा। विद्युत् संबंध अन्तिम रूप से 11 अगस्त 1983 को विच्छेद कर दिया गया। अगस्त 1983 में मजदूर कालोनी, पानी की टंकी एवं सुरक्षा बिन्दु आदि के लिये एक अलग विद्युत् कनेक्शन उपलब्ध कराया गया था।

मजदूर कॉलोनी को भी एच. टी. उपभोक्ता को आपूर्त किये गये बिजली के मुख्य कनेक्शन के माध्यम से ही बिजली दिये जाने के कारण मण्डल के बकाया का भुगतान न करने का दोषी होते हुये भी मण्डल उपभोक्ता के विद्युत् कनेक्शन को काटने को बाध्य नहीं हो सका। एकत्रित बकाया राशि 49·21 लाख रुपये के लिये 13 फरवरी 1985 को कार्यालयी परिसमापक (लिक्विडेटर) के पास एक दावा प्रस्तुत किया। प्रकरण कार्यालयी परिसमापक के पास लंबित है (अगस्त 1986)

(ग) यद्यपि कोटा के एच. टी. उपभोक्ता को माह जुलाई 1984 का विद्युत् प्रभार का भुगतान न किये जाने के कारण राशि 8·21 लाख रुपये के लिये दिनांक 27 जुलाई 1984 को एक नोटिस जारी किया गया था, विद्युत् कनेक्शन 27 नवम्बर 1984 को जबकि संचित बकाया 12·78 लाख रुपये थे, विच्छेद कर दिया गया। उपभोक्ता से एक लाख रुपये की प्रथम किश्त प्राप्त होने के पश्चात् 28 नवम्बर 1984 को विद्युत् कनेक्शन पुनः चालू किया गया। उपभोक्ता द्वारा वर्तमान बिलों सहित आग की किश्त फरवरी 1985 तक भी अदा नहीं की गयी थी। बकाया का संचयन (मार्च 1985 तक 13·65 लाख रुपये) होने के कारण 5 अप्रेल 1985 को विद्युत् संबंध पुनः विच्छेद कर दिया गया था। जब विद्युत् संबंध विच्छेद किया गया दो बैंक गारन्टियां 5·14 लाख रुपये एवं एक बैंक गारन्टी 4·29 लाख रुपये प्रतिभूतियों के रूप में थी उन्हें अप्रेल 1985 में प्रवर्तित नहीं की गयी थीं। उपभोक्ता द्वारा 17 जुलाई 1985 को 5·14 लाख रुपये की बैंक गारन्टी के लिये एवं दिनांक 4 अगस्त 1986 को

4.29 लाख रुपये की बैंक गारन्टी के लिए न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त किये एवं इन बैंक गारंटियों को भुनाने हेतु मण्डल को निषिद्ध किया, इस प्रकार मण्डल के बकाया अवसूलित रहें ।

बकाया की वसूली हेतु विद्युत् बकाया (ई.डी. आर.) अधिनियम के अधीन भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

(घ) माह जुलाई 1985 से मण्डल की बकाया (0.19 लाख रुपये) का भुगतान न किये जाने के कारण 6 दिसम्बर 1985 को भिवाडी (अलवर) के एक एच. टी. उपभोक्ता का विद्युत् सेवा कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया । मण्डल ने उपभोक्ता की प्रार्थना पर 9 जनवरी 1986 को पुनः विद्युत् आपूर्ति कनेक्शन देने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया कि उपभोक्ता विद्युत् बिलों के विरुद्ध 0.11 लाख रुपये की राशि जमा करायेंगे एवं पुनः कनेक्शन से पूर्व 0.14 लाख रुपये प्रतिभूति जमा के रूप में तथा शेष बकाया राशि यथोचित दो किश्तों में अदा करेंगे ।

फिर भी प्रतिभूति राशि 0.14 लाख रुपये प्राप्त किये बिना कनेक्शन पुनः चालू कर दिया गया । उपभोक्ता ने बकाया के भुगतान में चूक की एवं मार्च 1986 में विद्युत् सम्बन्ध पुनः विच्छेद कर दिया गया । मई 1986 में विद्युत् आपूर्ति इस शर्त पर पुनः चालू करदी गयी कि उपभोक्ता कनेक्शन प्रारंभ करने से पूर्व 0.14 लाख रुपये एवं शेष 0.70 लाख रुपये पांच किश्तों में अदा करेंगे । उपभोक्ता ने पुनः कनेक्शन से पूर्व 0.14 लाख रुपये तो जमा करा दिये लेकिन जून 1986 से एवं उसके पश्चात् के बिल अदा नहीं किये तथा बकाया राशि रु. 1.31 लाख तक पहुंचने पर अगस्त 1986 में विद्युत् आपूर्ति बंद करदी गयी ।

(ङ) अलवर की एक फर्म से 4 सितम्बर 1981 को पांच वर्ष के लिये 400 के. वी. ए. की मांग संविदा (कान्ट्रेक्ट डिमान्ड) के लिए एक अनुबंध किया गया । उपभोक्ता को 27 अक्टूबर 1981 को बिजली आपूर्ति प्रारंभ कर दी । यद्यपि उपभोक्ता ने मण्डल के बिल माह जनवरी 1982 से एवं इसके बाद के बकाया अदा नहीं किये थे एवं विद्युत आपूर्ति माह नवम्बर 1982 से काट दी गयी, तब तक उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया राशि 0.72 लाख रुपये तक पहुंच गयी । फर्म से न्यूनतम प्रभार की राशि रु. 19.79 लाख रुपये जो अनुबंध के अनुसार विद्युत् आपूर्ति की दिनांक से पांच वर्षों की असमाप्त अवधि के लिये वसूलनीय थे वह भी अवसूलित रहे । बैंक गारन्टी 0.22 लाख रुपये को भी नही भुनायी गयी एवं इसकी अवधि 18 अगस्त 1982 भी समाप्त हो गयी । इस प्रकार फर्म से वसूली योग्य कुल राशि 20.51 लाख रुपये थी ।

उपर्युक्त प्रकरण राज्य सरकार एवं मण्डल को नवम्बर 1986 में प्रतिवेदित किया था एवं उनका प्रत्युत्तर अभी तक अपेक्षित है । (जून 1987)

अध्याय IV

4. सांविधिक से निगमों संबंधित कुछ रुचिकर प्रकरण

4.1 राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल

4.1.1 लाइन के टावरों का निर्माण

अभिकल्पना, विरचना, जस्तीकरण, परीक्षण एवं 220 के.वी. /132 के.वी. की संपूर्ण लाइन टावर्स व सह उपकरणों की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात् मण्डल द्वारा ठेका आवंटित किया था; विरचना कार्य में वांछित लोहा एवं जस्ता मण्डल द्वारा दिया जाना था।

मण्डल ने उक्त कार्य हेतु नवम्बर 1978 से मार्च 1980 के दौरान 6 फर्मों को आदेश दिये।

संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को लोहा एवं जस्ता चरणित प्रक्रिया में विरचना अनुसूचि के अनुरूप मण्डल द्वारा आपूर्त किया जाना था जिसके लिए ठेकेदार को एक मासिक लेखा 20 तारीख से पूर्व यह दर्शाते हुये कि जिस माहमेंउसको लोहा और जस्ता जारी किया गया था उसके अगले माह के अंत तक शेष उपलब्ध मात्रा, प्राप्त मात्रा, विरचना/जस्तीकरण में प्रयुक्त मात्रा एवं विरचित तथा जस्तीकरण की आपूर्त की गयी मात्रा का विवरण प्रस्तुत किया जाना था। फिर भी लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि न तो ठेकेदार ने नियमित मासिक लेखा ही प्रस्तुत किया तथा न ही मण्डल द्वारा इन लेखों के प्रस्तुती करण हेतु आग्रह किया।

विरचना खण्ड के अभिलेखों एवं उपरोक्त 6 फर्मों में से चार फर्मों के संचरण निर्माण वृत्त के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा से निम्न तथ्य प्रकट हुए :

(i) लोहा एवं जस्ते को चरणित प्रक्रिया में जारी करने को, विरचना अनुसूचि से परस्पर संबंधित कर ठीक से लागू नहीं किया गया।

(ii) पूना की फर्म 'अ' को 709.868 टन लोहा तथा 20 मी. टन जस्ता 1982-83 के अन्त तक आपूर्त किया गया जिसके विरुद्ध फर्म ने 252.845 मी. टन लोहा एवं 14.454 मी. टन जस्ता विरचन कार्य में प्रयोग किया। मार्च 1986 के अन्त में फर्म के पास 457.023 मी. टन लोहा (कीमत 14.56 लाख रुपये) तथा 5.546 मी. टन जस्ता (कीमत 0.73 लाख रुपये) पड़ा हुआ था। फर्म के पास जो लोहा एवं जस्ता शेष पड़ा रहा उसका वर्तमान मूल्य (मार्च 1986) 33.60 लाख रुपये था।

(iii) जयपुर की फर्म 'ब' द्वारा प्रति माह औसतन 400 मी. टन लोहा (कीमत 12.62 लाख रुपये) अपने पास रखा। 1985-86 के अन्त में 782.472 मी. टन लोहा (कीमत 24.94 लाख

रुपये) तथा 61.938 मी. टन जस्ता (कीमत 8.07 लाख रुपये) फर्म के पास पड़ा हुआ था। फर्म के पास जो लोहा एवं जस्ता शेष पड़ा रहा उसका वर्तमान मूल्य (मार्च 1986) 72.59 लाख रुपये था।

(iv) नागपुर की फर्म 'स' को 1982-83 से 1984-85 की अवधि में 1469.626 मी. टन लोहा एवं 1983-84 व 1985-86 के दौरान 105.500 मी. टन जस्ता आपूर्त किया गया, जिसके विरुद्ध फर्म ने मार्च 1986 के अन्त तक 887.07 मी. टन लोहा एवं 47.406 मी. टन जस्ते का प्रयोग कर विरचित माल आपूर्त किया एवं 582.555 मी. टन लोहा मूल्य 18.57 लाख रुपये एवं 58.094 मीट्रिक टन जस्ता मूल्य 7.63 लाख रुपये का शेष छोड़ा। फर्म के पास जो लोहा एवं जस्ता अवशेष रहा उसका 31 मार्च 1986 को मूल्य 57.62 लाख रुपये था।

(v) अहमदाबाद की फर्म 'द' को 1982-83 के अन्त तक आपूर्त किये गये 501.850 मी. टन लोहे एवं 36.371 मी. टन जस्ते के विरुद्ध फर्म ने अगस्त 1983 के अन्त तक 314.670 मी. टन विरचित माल की आपूर्ति की एवं तत्पश्चात् कोई विरचित माल आपूर्त नहीं किया। फर्म के पास 1985-86 के अन्त में 171.447 मी. टन लोहा (कीमत 5.46 लाख रुपये) एवं 17.723 मी. टन जस्ता (कीमत 2.33 लाख रुपये) सितम्बर 1983 से पड़ा था। फर्म के पास शेष रहे लोहे व जस्ते का वर्तमान (मार्च 1986) मूल्य 17.14 लाख रुपये था।

(vi) 1984-85 के अन्त में फर्म के पास रहे लोहे व जस्ते की मात्रा 1762.281 मी. टन लोहा (कीमत 56.16 लाख रुपये) एवं 131.578 मी. टन जस्ता (कीमत 17.28 लाख रुपये) 1985-86 के अन्त में बढ़कर लोहा 1993.497 मी. टन (कीमत 63.53 लाख रुपये) व जस्ता 142.801 मी. टन (कीमत 18.76 लाख रुपये) हो गयी जिसके परिणाम स्वरूप मण्डल की निधि अवरुद्ध हो गयी। अवरुद्ध निधि पर केवल डेढ़ वर्ष की अवधि की ही ब्याज की राशि 16.52 लाख रुपये की हानि हुई (15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से परिकलित)।

फर्मों के पास रहे लोहे एवं जस्ते का वर्तमान (31 मार्च 1986 को) मूल्य 180.95 लाख रुपये आंका गया है।

(vii) फर्मों द्वारा अप्रयुक्त माल वापस करने में असफल होने की स्थिति में मण्डल की हित को सुरक्षित रखने की दृष्टि से मण्डल ने उनको जारी लोहा व जस्ते के विरुद्ध बैंक गारन्टी, प्राप्त करने के बजाय तीन फर्मों (फर्म 'ब', 'स' व 'द') से केवल क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र ही प्राप्त किये। केवल पूना की फर्म 'अ' के प्रकरण में ही बैंक गारन्टी प्राप्त की गयी।

(viii) पूना की फर्म 'अ' द्वारा बिना मण्डल को सूचना दिये जुलाई 1981 से मई 1984 की अवधि के दौरान प्रेषित रेल्वे रसीद (आर. आर.) विलम्ब से प्राप्त होने के कारण मण्डल द्वारा 0.62 लाख रुपये का विलम्ब शुल्क प्रभार का भुगतान किया। यह विलम्ब शुल्क प्रभार फर्म से अभी तक वसूल नहीं किया गया (जून 1986)।

(ix) फर्मों के द्वारा आपूर्त विरचित माल टावर मेम्बर की पूर्ण रूप से पूरक समावेश निम्नांकित सीमा तक भी नहीं रहा :

क्र. सं.	निर्माता/विरेचक का नाम	आपूर्ति की अवधि	निर्माता द्वारा कुल आपूर्त मात्रा	आपूर्त की गयी मात्रा	
				पूर्ण रूप में	अपूर्ण रूप में
				(मात्रा मी. टन में)	
1.	फर्म 'अ'	जुलाई 1981 से मार्च 1984	229·860	..	229·860
		जून 1986 तक	229·860	..	229·860
2.	फर्म 'ब'	अप्रेल 1980 से जनवरी 1985	3,438·000	1,865·945	1,572·055
		जून 1986 तक	3,759·000	2,165·000	1,594·000
3.	फर्म 'स'	दिसम्बर 1983 से फरवरी 1985	702·622	..	702·622
		जून 1986 के अंत तक	806·429	201·000	605·429
4.	फर्म 'द'	जुलाई 1982 से अगस्त 1983 तक	314·670	82·000	232·670
		जून 1986 तक	314·670	82·000	232·670

फर्मों द्वारा आपूर्त 5,109·959 मी. टन माल में से 2,661·959 मी. टन माल अपूर्ण रूप से आपूर्त किया गया। परिणाम स्वरूप 220 के. वी./132 के.वी. की 15 लाइनों का निर्माण 1981-82 से 1985-86 में एक महीने से 12 महीनों की अवधि में बन्द करना पड़ा (5 लाइनें 1 से 6 माह तक, 9 लाईनें 5 से 8 माह तक, तथा एक लाईन 12 माह तक)।

संपूर्ण टावर मेम्बर की अनापूर्ति/विलम्ब के कारण मण्डल को शेष टावर मेम्बर के निर्माण के कार्य के लिये स्थानीय कार्यशाला का आश्रय लेना पड़ा या सामान को अन्य कार्य व अन्य स्थान से बदलना पड़ा। फर्म 'अ' द्वारा आपूर्त 229·860 मी. टन टावर सामग्री अब भी अपूर्ण अवस्था में है एवं मण्डल के पास अप्रयुक्त पड़ी है । (जून 1986)

(x) जैसा कि अहमदाबाद की फर्म 'द' से निर्मित टावर सामग्री अनुसूचि के अनुसार प्राप्त नहीं हो रही थी एवं आगरा-भरतपुर की दोहरी सर्किट 220 के. वी. की लाईन के निर्माण की अत्यावश्यकता थी इसलिये मण्डल ने सितम्बर 1982 में मध्य प्रदेश विद्युत् मण्डल से 18·06 लाख रुपये मूल्य के 8 सी. व डी. टाइप के टावर स्टब्स एवं गुट के (क्लीट्स) तथा स्टब्स लगाने हेतु दासा-पट्टी (टेम्प्लेट) (कुल भार 176·495 मी. टन) का क्रय किया। यदि इस कार्य को फर्म 'द' द्वारा उनकी संविदा के आधार पर पूर्ण कर दिया जाता तो मण्डल का यह कार्य 11.49 लाख रुपयों की लागत पर ही हो जाता। अतिरिक्त व्यय 6·57 लाख रुपये की वसूली के लिए फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी ।

4.1.2 220 कि. वॉ./132 कि. वा. की संचरण लाइन के निर्माण में कन्डक्टर (विद्युत् संवाहक) का अधिक उपयोग–9.36 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रतिमानों एवं मण्डल के मानक अनुमानों के अनुसार 220 के. वी./132 के. वी. की संचरण लाईन को बांधने के लिये 3.045 किलो मीटर संवाहक (0.045 किलोमीटर संवाहक झोल व छीजत को स्वीकृति के पश्चात्) वांछित था। लेखा परीक्षा द्वारा की गयी नमूना जांच में पाया गया कि 1982-83 से 1984-85 की अवधि के दौरान विभागीय स्तर पर निर्मित 16 संचरण लाइनों में वास्तविक उपभोग प्रति किलोमीटर 3.053 और 3.400 किलोमीटर के मध्य भिन्नता थी। यह अतिरिक्त व्यय राशि 9.36 लाख रुपये विभागीय कार्यों पर मानक मांग से अधिक संवाहकों की खपत के कारण थी। विभागीय निष्पादन में देरी के कारणों का अन्वेषण नहीं किया गया सूचित नहीं किया गया (मई 1987)।

4.1.3 कन्डक्टर की खरीद में अतिरिक्त व्यय

मण्डल द्वारा जनवरी 1984 में जयपुर की एक फर्म को 600 किलोमीटर के ए सी एस आर स्क्विरल कन्डक्टर रुपये 1,595 प्रति किलो मीटर की दर के आदेश प्रेषित किये। क्रयादेश के अनुसार फर्म को फरवरी 1984 में 300 किलोमीटर के संवाहक एवं शेष मात्रा (300 किलोमीटर) मार्च 1984 में आपूर्त करने थे हालांकि फर्म ने निविदा के जवाब में मार्च 1984 तक 600 किलो मीटर कन्डक्टर आपूर्त करने का प्रस्ताव रखा था यदि दिसम्बर 1983 के अन्त तक उसे आदेश प्रेषित कर दिया जाय। फर्म ने फरवरी 1984 एवं पुनः जुलाई 1984 में सुपुर्दगी धारा प्रस्तावानुसार संशोधन साथ ही साथ परिवर्तन की धारा के अनुसार एल्मूनियम के मूल्य में बढ़ौतरी जो 9 मई 1984 से प्रभावी थी, के कारण मूल्यों में संशोधन के लिए प्रार्थना की कि 31 अगस्त 1984 तक आदेश जारी कर दिये जावें अन्यथा आदेश निरस्त समझा जावेगा। मण्डल फिर भी फर्म की प्रार्थना से सहमत नहीं हुआ एवं आदेश की शर्त के अनुसार ही कन्डक्टर की आपूर्ति हेतु आग्रह करता रहा। फर्म ने मण्डल को सूचित किया (सितम्बर 1984) कि 31 अगस्त 1984 तक अपेक्षित संशोधन प्राप्त नहीं होने से आदेश की वैधता और अधिक नहीं रही। मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध) के द्वारा कानूनी सलाह हेतु भेजे जाने पर मण्डल के निदेशक (विधि सलाहकार) ने मत व्यक्त किया कि संविदा पूरी नहीं हुई थी क्योंकि फर्म के प्रस्ताव को 30 जनवरी 1984 को स्वीकार किया गया था न कि 31 दिसम्बर 1983 को, इसलिये फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही संभव नहीं थी। मण्डल द्वारा 24 अक्टूबर 1985 को किसी भी तरफ से बिना किसी वित्तीय देयता के आदेश को निरस्त कर दिया गया।

तत्पश्चात् अधीक्षण अभियन्ता ने जनवरी 1985 में प्रेषित एक आदेश के विरुद्ध 1930.91 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से 23,800 किलोमीटर के स्क्विरल कन्डक्टर क्रय किये। मण्डल द्वारा फर्म के मूल प्रस्तावों के अनुसार विधि मान्य अवधि, 31 दिसम्बर 1983 के भीतर आदेश प्रेषित न किया जाना एवं मार्च 1984 तक माल की आपूर्ति न कराना तथा सुपुर्दगी अनुसूची में फर्म के प्रस्ताव के अनुसार संशोधन नहीं करने के कारण 600 किलोमीटर कन्डक्टर के प्राप्त करने में 2.32 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

फर्म का पत्र दिनांक 31 जुलाई 1984 के प्राप्त होने के बाद भी यदि 31 अगस्त 1984 (विधिमान्य अवधि) से पूर्व यदि आदेश को जो इ. सी. ग्रेड एल्मूनियम की बढ़ी हुई दरों पर आधारित था, संशोधित कर दिया जाता तो 1.11 लाख रुपये (600 किलोमीटर पर 161.19 रुपये प्रति किलो मीटर के मूल्य अन्तर, उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर के योग पर परिकलित) की बचत हो सकती थी।

4.1.4 तरंग जाल (वेव ट्रेप्स) का क्रय

नवम्बर 1977 में आठ 0.5 एम. एच/800 एम्पीयर्स तरंग जाल (वेव ट्रेप्स) (विद्युत् लाइन संचरण वाहक यन्त्र) 1.94 लाख रुपये के मूल्य पर अधिप्राप्त किये गये। ये नवम्बर 1978 में अलवर-

बदरपुर एवं अलवर-जयपुर अनुभाग में 220 के. वी. लाइनों के लिए अधिप्राप्त किये थे। इनमें से चार अलवर-जयपुर अनुभाग पर आपूर्तिकर्ता से सम्पर्क एवं पथ प्रदर्शक लाइन डायग्राम के बिना ही संस्थापित कर दिये एवं परिणामस्वरूप संस्थापन दोषपूर्ण था जिसे फरवरी 1979 में दोष निवारण की आवश्यकता हेतु बंद करना पड़ा। ये जाल (ट्रेप) विघटित (डिस्मेंटल) किये जाकर दिसम्बर 1983 में अलवर के 220 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन के स्विचयार्ड में भंडारित कर दिये गये। तत्पश्चात इन्हें अन्य चारों के साथ जो अलवर-बदरपुर अनुभाग हेतु थे, पी. एल. सी. सी. भण्डार में स्थानान्तरित कर दिया गया।

जनवरी 1984 में की गई विभागीय जांच में पाया कि 8 में से 6 जाल (ट्रेप्स) त्रुटियुक्त थे क्योंकि स्पेसर्स के मध्य से कॉयलें बाहर आ गयीं और विकृत हो गयीं थीं। शेष 2 तरंग जाल हालांकि ठीक स्थिति में थे, उनको संस्थापित नहीं किया गया क्योंकि इनसे मेल खाते हुए अन्य जाल (ट्रेप्स) दोषपूर्ण हो गये।

इन गलतियों के लिए अभी तक कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया (जून 1986)।

फर्म ने इन जालों (ट्रेप्स) की मरम्मत लागत 0.72 लाख रुपये (12,000 रु. प्रति सैट) व साथ में मद्रास स्थित कारखाने से दोनों ओर का परिवहन व्यय सूचित किया (जनवरी 1984)। इन जालों (ट्रेप्स) की न तो मरम्मत हुई, न ही अब तक किसी उपयोग में लिये गये (जून 1986) एवं 1.94 लाख रुपये का निवेश निष्फल था।

प्रकरण राज्य सरकार एवं मण्डल को निवेदित (अगस्त 1986) किया गया था, उनके उत्तर अभी तक प्रतीक्षित हैं (मई 1987)।

म वि भट्ट

जयपुर
दिनांक 27 नवम्बर 1987

(म. वि. भट्ट)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा) राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी

नई दिल्ली
दिनांक 4 दिसम्बर 1987

(त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबन्ध

अनुबन्ध 1

(पृष्ठ (i) पर अनुच्छेद 3 में उल्लिखित)

ऐसी कम्पनियों की सूची जिसमें सरकार द्वारा 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश किया परन्तु वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा के अधीन नहीं थीं।

कम्पनी का नाम	1985-86 के अन्त तक कुल निवेश (लाख रुपयों में)
1. जे. के. इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	88.33
2. जयपुर उद्योग लिमिटेड	75.00
3. मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	25.00
4. जयपुर मेटल एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	21.00
5. जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड	17.46
6. आदित्य मिल्स लिमिटेड	16.00
7. मान इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड	15.00
8. जगतजीत कॉटन टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	14.75
9. अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड (केलवीनेटर ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के साथ समामेलित)	10.25

अनुबन्ध 5

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के 1985-86 तक तीन वर्षों के अन्त की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण-पत्र

(अनुच्छेद 1.4.2 में उल्लिखित)

अ–देयताएं	1983-84	1984-85 (करोड़ रुपयों में)	1985-86
1. सरकार से प्राप्त कर्ज	6,05.99	6,52.56	6,89.44
2. अन्य दीर्घकालिक कर्ज (बन्धपत्रों सहित)	3,40.32	3,79.13	4,21.04
3. सार्वजनिक जमा	19.80	23.99	27.71
4. आरक्षित निधियाँ	1,89.25	2,16.62	1,15.40
5. चालू देनदारियाँ और प्रावधान	3,13.40	4,02.78	5,86.72
योग	14,68.76	16,75.08	18,40.31
ब–परिसम्पत्तियाँ			
1. सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	10,63.29	11,52.85	12,66.36
2. घटाया-मूल्य ह्रास	30.34	..	2,40.44
3. निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	10,32.95	11,52.85	10,25.92
4. निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	2,14.38	2,73.00	3,09.92
5. चालू परिसम्पत्तियाँ	1,97.04	2,16.08	2,47.06
6. पूंजी से पूरे किये गये संचालन एवं प्रबन्ध व्यय की कमी का पुनर्भरण	..	8.76	..
7. संचित हानियाँ	24.39	24.39	2,57.41*
योग	14,68.76	16,75.08	18,40.31
स–नियोजित पूंजी**	8,73.06	9,22.11	6,41.98

---

*इसमें सम्मिलित है सरकारी कर्जों पर ब्याज का अवशेष (79.61 करोड़ रुपये), मूल्य ह्रास का अवशेष (1,34.54 करोड़ रुपये), मूल्य ह्रास आरक्षित निधियों (डी. आर. एफ.) से आहरण (71.27 करोड़ रुपये), कमी को पूंजी से पूरा किया गया (8.76 करोड़ रुपये), मंडल की लेखा प्रणाली में परिवर्तन के कारण पूर्व वर्षों के निक्षेप निधि के कम समायोजन (1,06.73 करोड़ रुपये) को इस वर्ष लेखा शीर्ष "पुनः संरचना" के अधीन लेखांकित किया गया।

**नियोजित पूंजी, निवल स्थाई परिसम्पत्तियाँ (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यों को छोड़कर) और कार्यकारी पूंजी को जोड़कर निकाली गई है।

अनुबन्ध 6

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के 1985-86 तक के तीन वर्षों के अन्त में परिचालन निष्पादन का विवरण-पत्र

(अनुच्छेद 1.4.2 में उल्लिखित)

विशिष्टताएं	1983-84*	1984-85*	1985-86
		(मेगावाट में)	(अन्तरिम)
1. अधिष्ठापित क्षमता :			
(i) ताप बिजली/डीजल	506.03	500.11	500.11
(ii) पन बिजली	805.01	807.75	857.76
	1,311.04	1,307.86	6,357.87
2. साधारण अधिकतम मांग	1,099	986	1,118
		(एम के डब्ल्यू एच में)	
3. उत्पादित बिजली :			
(i) ताप बिजली/डीजल	1,362.31	1,729.78	1,678.73
(ii) पन बिजली	2,907.40	2,854.09	2,963.85
योग	4,269.71	4,583.87	4,642.58
घटाया : सहायक (गौण) खपत	187.52	218.32	207.27
4. निवल उत्पादित बिजली	4,082.19	4,365.55	4,435.31
5. खरीदी गई बिजली	1,931.37	1,876.34	2,356.53
6. बिक्री हेतु उपलब्ध कुल बिजली	6,013.56	6,241.89	6,791.84
7. बेची गई बिजली	4,494.90	4,663.96**	5,087.55
		(एम के डब्ल्यू एच में)	
8. (i) बेची गई यूनिटें			
(क) कृषि	1,301.58	1,396.08	1,454.50
(ख) औद्योगिक	1,988.56	1,983.93	2,226.61
(ग) वाणिज्यिक	196.40	227.06	260.30
(घ) घरेलू	340.22	404.93	463.31
(च) अन्य **	668.14	651.96	682.83
योग	4,494.90	4,663.96	5,087.55

*मण्डल द्वारा दिये गये अन्तिम आंकड़ों के आधार पर।

**राज्य के द्वारा बेची गई बिजली भी शामिल है।

	1983-84	1984-85	1985-86
(ii) (क) प्रति किलोवाट घंटे से आय	47.80	46.96	59.75
(ख) प्रति किलोवाट घंटे से व्यय	57.55	63.79	72.13
(ग) प्रति किलोवाट घंटे से लाभ (+)/हानि (−)	(−) 9.75	(−) 16.83	(−) 12.38
		(एम के डब्ल्यू एच)	
9. संचरण एवं वितरण हानियाँ	1,518.65	1,577.93	1,704.29
		प्रतिशत	
10. भार घटक (लोड फेक्टर)	56.26	66.39	63.79
11. संचरण एवं वितरण हानियों का बिक्री हेतु उपलब्ध बिजली से प्रतिशत (6+9)	25.25	25.28	25.1
		(के डब्ल्यू एच)	
12. स्थापित क्षमता के प्रत्येक किलोवाट पर उत्पादित इकाइयों की संख्या	3,712	3,591	3,618

अनुबन्ध 7

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 1985-86 तक के तीन वर्षों के अन्त की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद 1.5.2 में उल्लिखित)

	1983-84	1984-85	1985-86* (अन्तरिम)
		(करोड़ रुपयों में)	
देयताएं			
(क) पूंजी	33.00	35.97	41.03
(ख) आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	2.30	1.98	3.03
(ग) उधार	5.56	4.32	8.01
(घ) व्यापारिक बकाया एवं अन्य देनदारियाँ	38.13	38.51	38.98
योग	79.99	80.78	91.05
परिसम्पत्तियाँ			
(क) सकल ब्लॉक	46.49	50.80	60.58
(ख) बकाया आरक्षित मूल्य ह्रास	27.50	28.06	31.19
(ग) निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	18.99	22.74	29.39
(घ) पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य	—	—	—
(ङ) निवेश	1.76	0.59	0.08
(च) चालू परिसम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम	20.41	22.38	27.28
(छ) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ			
–विविध	—	—	0.83
–संचित हानि	37.83	35.07	33.47
	78.99	80.78	91.05

*आंकडे वार्षिक लेखों पर आधारित हैं जो निगम के अनुमोदन के पश्चात् लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये थे । अतः ये आंकडे अन्तरिम हैं ।

अनुबन्ध 8

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 1985-86 तक के तीन वर्षों के अन्त में भौतिक निष्पादन दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद 1.5.2 में उल्लिखित)

	1983-84	1984-85	1985-86 अन्तरिम
1. उपलब्ध वाहनों की औसत संख्या	2,245	2,411	2,505
2. चालू वाहनों की औसत संख्या	2,047	2,176	2,245
3. उपयोग की प्रतिशतता	84	86	90
4. तय किये गये किलोमीटर (लाखों में)			
सकल	1,977.36	2,176.64	2,392.02
प्रभावी	1,916.61	2,118.62	2,335.20
निष्क्रिय	60.75	58.02	56.82
5. निष्क्रिय कि.मी. की सकल कि.मी. से प्रतिशतता	2.67	2.38	3.07
6. प्रति बस द्वारा प्रति दिन तय किये गये औसत कि.मी.	253	262	266
7. प्रति कि. मी. औसत आय (पैसे) (अपरिचालन आय सहित)	410	412	440
8. प्रति कि. मी. औसत व्यय (पैसे) (अपरिचालन व्यय सहित)	403	397	433
9. प्रति कि. मी. योजना (पैसे)	7	15	7
10. कुल कि. मी. मार्ग	1,63,358	1,81,570	2,02,573
11. परिचालन आगारों की संख्या	34	33	33
12. प्रति लाख कि. मी. पर बसें खराब होने की औसत संख्या	6.6	4.3	3.4
13. प्रति लाख कि.मी. पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.28	0.25	0.25
14. निर्धारित यात्री कि.मी. (लाखों में)	10,34,96.94	11,44,05.48	12,61,00.80
15. परिचालित यात्री कि.मी. (लाखों में)	7,84,73.32	8,74,74.20	8,88,44.16
16. अधिभोग अनुपात (प्रतिशत)	75.8	76.5	70.5

अनुबन्ध 9

राजस्थान वित्त निगम के 1985-86 तक तीन वर्षों के अंत की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण-पत्र

(अनुच्छेद 1.6.2 में उल्लिखित)

	1983-84	1984-85	1985-86
		(करोड़ रुपयों में)	
देयताएं			
प्रदत्त पूंजी	10.00	10.00	10.00
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	11.67	11.47	11.14
उधार	144.88	173.38	195.12
व्यापारिक बकाया व अन्य देन दारियां तथा प्रावधान	4.08	6.64	5.81
योग	170.72	201.49	222.06
परिसम्पत्तियां			
निबल अचल परिसम्पत्तियां	0.48	0.56	0.54
निवेश (मूल्य पर)	0.13	0.13	0.13
ऋण एवं अग्रिम	153.98	180.61	202.95
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	16.13	20.19	18.44
योग	170.72	201.49	222.06
नियोजित पूंजी*	151.47	180.10	204.54
निवल मूल्य**	21.76	21.47	21.14

---

* नियोजित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, बंध-पत्र, आरक्षित निधियां एवं अधिशेष उधार तथा जमाओं के आदि और अंत शेषों के योग की द्योतक है ।

**निवल मूल्य–प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियां अधिशेष के योग में से अमूर्त परिसम्पत्तियां घटाकर है ।

अनुबन्ध 10

राजस्थान वित्त निगम के 1985-86 तक तीन वर्षों के अंत में भौतिक निष्पादन दर्शाने वाला संक्षिप्त विवरण-पत्र

(अनुच्छेद 1.6.2 व 1.6.4 में उल्लिखित)

प्रार्थना-पत्रों का विवरण	1983-84		1984-85		1985-86		क्रमशः वृद्धि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
				(लाख रुपयों में)				
(i) वर्ष के प्रारम्भ में बकाया	1,198	40,38.50	686	21,75.89	624	29,21.01	–	–
(ii) प्राप्त	6,229	80,35.87	6,655	1,07,29.05	5,008	1,04,21.24	41,288	7,24,07.19
(iii) योग	7,427	1,20,74.37	7,341	1,29,04.94	5,632	1,33,42.25	41,288	7,24,07.19
(iv) स्वीकृत	5,143	54,60.44	4,728	54,18.80	4,037	64,11.24	31,276	4,12,46.70
(v) अस्वीकृत/वापिस ली गई/समाप्त की गयी	1,598	3,66.77	1,989	32,49.29	903	23,64.27	9,320	2,06,92.25
(vi) वर्ष की समाप्ति पर बकाया	686	21,75.89	624	29,21.01	692	33,78.15	692	33,78.15
(vii) कर्ज संवितरण	5,972	38,78.77	6,006	29,28.81	5,438	35,97.49	23,515	2,64,15.27
(viii) वर्ष की समाप्ति पर बकाया राशि	–	1,53,98.17	–	1,80,60.45	–	2,02,94.80	–	–
(ix) अधिकाधिक वसूली की बकाया राशि								
(अ) मूल	–	16,49.51	–	23,15.64	–	33,56.84	–	–
(ब) ब्याज	–	8,52.98	–	11,69.41	–	17,32.05	–	–
(स) योग	–	25,02.49	–	34,85.05	–	50,88.89	–	–
(x) कुल बाकी ऋणों से अधिकाधिक बकाया की प्रतिशतता	–	16.3	–	19.3	–	25.1		

स्रोत: कम्पनी के वार्षिक प्रतिवेदन

टिप्पणी: मद संख्या (iii) के समक्ष दर्शायी गयी राशि एवं मद संख्या (iv).(v)व(vi) के समक्ष दर्शाये गये योग के मध्य का अन्तर प्रार्थित ऋण एवं स्वीकृत ऋण के बीच के अन्तर का द्योतक है।

अनुबन्ध 11

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के 1985-86 तक तीन वर्षों के अन्त में वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला संक्षिप्त विवरण-पत्र

(अनुच्छेद 1.7.3 में उल्लिखित)

अ—देयताएं	1983-84	1984-85	1985-86
		(करोड़ रुपयों में)	
(क) प्रदत्त पूंजी	2.58	2.68	2.73
(ख) आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	2.70	3.08	3.99
(ग) उधार	0.34	0.76	1.42
(घ) व्यापारिक बकाया व अन्य देनदारियां	1.83	2.29	2.26
योग अ—	7.45	8.81	10.39
ब—परिसम्पत्तियाँ			
(क) सकल ब्लॉक	5.90	6.54	8.71
(ख) घटाया-मूल्य ह्रास	1.03	1.44	1.83
(ग) निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	4.87	5.10	6.88
(घ) निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	0.20	0.42	0.20
(ङ) चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	2.12	3.29	3.32
(च) संचित हानियाँ	0.26	..	..
योग 'ब'	7.45	8.81	10.40
(स)—नियोजित पूंजी	5.17	6.10	7.95

टिप्पणी : नियोजित पूंजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों एवं कार्यकारी पूंजी का योग है।

अनुबन्ध 12

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के 1985-86 तक तीन वर्षों के अन्त में भौतिक निष्पादन को दर्शाने वाले आंकड़ों का विवरण-पत्र

(अनुच्छेद 1.7.3 में उल्लिखित)

विवरण	1983-84	1984-85	1985-86
(i) तय किये गये स्टेशनों की संख्या	79	79	81
		(लाख टनों में)	
(ii) वर्ष के अन्त तक बढ़ायी गयी भण्डार क्षमता			
(अ) निजी	2.09	2.14	2.43
(ब) किराये पर	0.73	1.06	1.34
	2.82	3.20	3.77
वर्ष के दौरान बढ़ायी गयी भण्डार व्यवस्था			
(अ) निजी	1.78	2.05	2.37
(ब) किराये पर	0.61	1.01	1.31
	2.39	3.06	3.68
उपलब्ध क्षमता का उपयोग (प्रतिशत)	85.0	96.0	98.0
प्रतिवर्ष प्रति टन औसत आय	73	77	99
प्रतिवर्ष प्रतिटन औसत व्यय	56	50	69
हानि (–)/लाभ (+) (प्रतिटन)	(+) 17	(+) 27	(+) 30

अनुबन्ध 13

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 1985-86 तक तीन वर्षों के अन्त में कार्यकारी रिणामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद 1.7.3 में उल्लिखित)

	1983-84	1984-85	1985-86
		(करोड़ रुपयों में)	
आय			
भण्डारण प्रभार	1.71	2.27	3.45
सीमेंट की बिक्री	..	..	..
अन्य आय	0.05	0.09	0.18
योग	1.76	2.36	3.63
व्यय			
स्थापन प्रभार	0.59	0.76	1.12
ब्याज	0.05	0.05	0.17
गोदाम किराया	0.07	0.13	0.24
अन्य व्यय	0.63	0.60	1.02
योग	1.34	1.54	2.55
लाभ (+)/हानि (–) (पूर्व अवधि के समायोजन व टैक्स से पहले)	(+)0.42	(+)0.82	(+)1.08
कर के लिए प्रावधान	0.24	0.21	..
करों के पश्चात् लाभ (+)/हानि (–)	(+)0.18	(+)0.61	(+)1.08
आरक्षित एवं अन्य विनियोग आदि	(+)0.06	(–)0.22	(–)0.89
लाभांश के लिये उपलब्ध राशि	(+)0.24	(+)0.39	(+)0.19
लाभांश के लिए भुगतान/उपलब्ध कराना	0.08	0.14	0.18
नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	0.47	0.87	1.25
प्रतिफल की दर			
(क) नियोजित पूंजी पर	9.0	14.3	15.8
(ख) निवेशित पूंजी पर	8.3	13.7	15.6

शुद्धिपत्र

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1985-86 (वाणिज्यिक) का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन—राजस्थान सरकार

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या	पैरा नंबर/क्रमांक नंबर	पंक्ति नंबर	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3		4	5
1.	(i)	अध्याय II गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड		पृष्ठ 25	पृष्ठ 15
2.	(i)	अध्याय III सांविधिक निगमों से संबन्धित समीक्षा		पृष्ठ 30	पृष्ठ 25
3.	(ii)	2	1	कम्पनियों का अधतन	कम्पनियों की अद्यतन
4.	(ii)	9	1	अन्त का द्वितीय	अन्त को वित्तीय
5.	(ii)	12	2	आंकडों	आंकड़ों
6.	(iii)	प्रस्तावना	4	2. सांविधिक कंपनियां,	2. सांविधिक निगम;
7.	1	अध्याय I 1.2.2	1 व 3	अधतन	अद्यतन
8.	2	(ख) (ग)	1	कर्जों	कर्जों
9.	8	1.4.1	8	2. अन्य स्त्रोत	2. अन्य स्रोत
10.	10	1.4.4	1	प्रतिवदन	प्रतिवेदन
11.	10	1.5.1 पारा 2	1	31 मार्च 1986 की	31 मार्च 1986 को
12.	13		2	बढ़ाकर	बढ़कर
13.	17	2.3.3 पारा 2	1	कर्ज मय 18* गन्ने ।	कर्ज मय 18** गन्ने /
14.	18		2	"टर्न" के आधार	"टर्न को" के आधार
15.	18		अंतिम	कज	कर्ज
16.	21	2.5.4	3	पूणतया	पूर्णतया
17.	23	2.6.3	6	उसने	उनसे
18.	24	(vii)	1	उठाय	उठाये
19.	28	(क)	7	विद्युत्कर	विद्युत् कट
20.	,,	,,	8	व उचित	वे उचित
21.	28	(ख)	5	से ही संबंध था।	से हो संबद्ध था।
22.	30	4	1	सांविधिक से निगमों संबंधित	सांविधिक निगमों से संबंधित
23.	31	(vii)	1	मंडल की हित को	मंडल के हित को
24.	39	क्र. सं. 1 कालम 2 (अ)		उद्योग	राज्य उपक्रम

1	2	3	4	5
25·	43	अनुबन्ध 4 कालम 11 शीर्षक	नियोजित पंजी	नियोजित पूंजी
26·	47	(ii) (क) (ख) (ग) के सामने के अंकों के ऊपर	—–	पैसे
27·	47	क्रम संख्या 11	(6 + 9)	(6 का 9)
28·	48	परिसम्पत्तियां (ख)	बकाया	घटाया
29·	49	क्र. सं. 9	प्रति कि. मी. योजना	प्रति कि. मी. लाभ
30·	49	क्र. सं. 15 1985-86 के नीचे	8,88,44·18	8,88·44·19
31·	50	आरक्षित निधियां एवं अधिशेष 1983-84 के नीचे	11·67	11·76
32·	51	(vii) कर्ज संविवरण 1984-85 राशि	29,28·87	39,28·81
33·	53	योग अ- 1985-86 के नीचे	10·39	10·40
34·	54	(ii) वर्ष के दौरान. . भण्डार व्यवस्था	बढ़ायी गयी	उपभोग की गयी

©

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
1987

अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर द्वारा मुद्रित।